पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

पंजीयन क्रमांक RNI-MP\HIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/march09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com

(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 000 अंक 000 इंदौर, सोमवार 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2009 पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 'सत्ता, मौज मस्ती करने, अय्याशी करने, कमीशन खाने के लिए'

3 सहकारिता से मिलकर करो सदस्यों का बंटाधार

4 करेगा तो, नहीं करेगा तो, मरेगा, ये है नरेगा

5 मु.अ. डामोर को पदोन्नत करने की पूरी तैयारी

6 प्र.अ. भ्रष्टाचार के लिए उधेड़ रहे कानून की धज्जियां

7 चिकित्सक चर जाते हैं चारा व पूरा धन

अंतरिक्ष शून्य है, शून्य में जाकर सब शक्ति भी शून्य

चांद पर पानी

शिगूफो की कहानी

जनता का ध्यान, मीडिया को उलझाने की कोरी बकवास

अंतरिक्ष में सब शून्य है केवल प्रकाश की किरणें ही गमन करती हैं। हवाई जहाज हवा पर तैरता है, चॉपर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हवा को काटकर ऊपर उठकर तैरता है। जब अंतरिक्ष में न गुरुत्वाकर्षण बल है न हवा है, सब शून्य है तो सारी शक्ति भी शून्य हो जाएगी, सारे उपग्रह में जाकर छोड़ दिए जाते हैं।1969 में आर्म स्ट्रांग चंद्रमा पर उतरा था तब पानी क्यों नहीं मिला। तब सभी ठोस पथरीला, उबड़-खाबड़ ही तो था तो भारत के वैज्ञानिकों ने पानी ढूंढ निकाला। चांद पर धूर्तो ने प्लाटों की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है। हरामखोरों और जालसाज मूर्खों को ऐसे ही मूर्ख बनाकर लूटते हैं। बढ़ती महंगाई से जनता का ध्यान हटाने, स्वाइन फ्लू की दहशत फैलाकर अरबों रुपए की दवाई खरीदने-बेचने के खेल की पोल समयमाया ने अपने समाचार पत्र और साइटों से पहले ही खोल दी है। **शेष पेज 2 पर**

डकैत कांग्रेसी गिरोह कमीशनखोरी, मौजमस्ती सत्ता के नशे में

चीन की घुसपैठ दोहराएगी १९६२ का इतिहास

नई दिल्ली।

कांग्रेसी राक्षस सत्ता में बैठे तो अपने कमीशनख़ोरी, अय्याशी, जालसाजी, कर्ज लेकर घी पीने, स्विस बैंकों में जमा करने जनता का रक्तपान करने, पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. के इशारे पर जनहित और राष्ट्रहित दांव पर लगाने का काम न करें तो उनका सत्ताधीश बनना औचित्यहीन हो जाए और इनका जीवन इस राक्षसी प्रवृत्ति के बिना शून्य सत्ता पाना और कुंडली मारे अजगरों की तरह निगलते जाना ये कोई इन हरामखोर जालसाज डकैत कांग्रेसियों से सीखें, इनकी अय्याशी, मौजमस्ती, कमीशनखोरी के लिए ये देश को गिरवी करने, बेचने, जनता को चमकाने डराने, धमकाने के लिए साम्प्रदायिक दंगे करवाने आतंकवादी हमले करवाने,अपने कुकर्मों को छुपाने, ध्यान बांटने के लिए स्वाइन फ्लू की दहशत फैलाने, जनता जागे न ज्यादा बुद्धिमान न बन जाए इसके लिए श्वानों की फौज 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं

सियाचीन से म्यांमांर तक रोज हजारों जगह घुसपैठ सत्ताधीश बयान दे रहे सब शांति है

की परीक्षाएं समाप्त करने तक के षड्यंत्रों तक को अंजाम दे रहे हैं।

इनके इन कुकर्मो से देश के मूर्ख भले ही परिचित न भी हो पर इन गंदे शूकरों की इन हरकतों पर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, पाकिस्तान जैसे घोर शत्रुओं की वर्षों से नजर है। इसको आधार बनाकर उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का खुलकर उपयोग किया। इन श्वानों की नेहरू की अय्याशी, मौजमस्ती को चीन ने समझा और 1950-59 से दोस्ती का राग अलाप और भुलावे में रख जो आक्रमण किया तो आसानी से 1 लाख कि.मी. पर कब्जा जमा लिया। कांग्रेसी गिद्धों की इन्हीं बातों की ऐतिहासिक पुनरावृत्ति के चलते कांग्रेसी शासन आते ही एक तरफ जहां पाकिस्तान जैसा छोटा सा राष्ट्र अपनी आतंकी गतिविधियों को आसानी से देश में अंजाम दे जाता है। ये कांग्रेसी ठींठ, निकम्मे अपनी मौजमस्ती और सत्ते के नशे में डूबे रहने के कारण ये शूकर केवल थोथी बयानबजी करते रहते हैं। जैसा कि मुम्बई के 26/11/08 के हमलों में हुआ, जो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक श्वान घर में घुस तोड़फोड़ कर चला गया ये गंदगी में लोट लगाने वाले शूकर थू-थू, फू-फू कर चुप हो गए। ये सब निकम्मेपन और नकारेपन को चीन भी देख रहा है, इसलिए वो आजादी के बाद से ही लगातार सियाचीन, माउंट, मानसरोवर से लेकर म्यांमार तक लगभग 4000 कि.मी. लंबी सीमा पर रोज ही कहीं न कहीं घुसपैठ करता रहता है, जबकि इसके विपरीत सच्चाई यह है कि भारतीय सेना इस इतनी बड़ी सीमा पर 1962 के युद्ध के बाद भी पूरी तरह तो क्या 10% स्थानों पर भी चीनी सेना पर निगरानी की तो दूर इतनी लंबी सीमा पर भारतीय सेना की नियमित पेट्रोलिंग तक नहीं होती, उनके हेलीकाप्टर्स, जबकि महीने में अनेकों बार भारतीय सीमा में न केवल तल छूते हैं वरन उसके सैनिक उतरकर बकायदा अपनी कार्यवाहियों को अंजाम देते हैं। समयमाया वर्षों से लिखता आ रहा है कि उत्तरी-पूर्वी अरुणाचल प्रदेश जिस पर भारत वर्षों से जनता के खून पसीने की कमाई जो आयकर अन्य करों के रूप में खर्च की जा रही है उस अरुणाचल प्रदेश को चीन न केवल अपना मानता है वरन वैधानिक रूप से वहां के नागरिक बिना बीजा और पासपोर्ट के भी चीन की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। **शेष पेज 2 पर**

रेड्डी चॉपर क्रेश- भारत तो गढ़ है हवाई हादसों का

नागरिक विमानन- भ्रष्टों, निकम्मों की फौज

भारत विमानन के क्षेत्र में विश्व का श्रेष्ठतम न केवल पिछड़ा, लापरवाह भ्रष्टाचार से भरा वह कूड़ादान है जहां 100% जहाज एक तो समय बाधित होने के साथ अपने ही बनाए नियम कानूनों को किताबें और दीवारों पर ढांग कर फुर्सत में या गाहे बगाहे दृष्टिपात करने की घोर लापरवाही करता है।

महानिर्देशक नागरिक उड्डयन ने ही व्यावसायिक विमान उड़ाकों की 300 घंटे की उड़ान को 200 घंटे में परिवर्तित कर विमान चालक अनुज्ञप्तियां देना शुरू कर दिया। जबकि सीपीएल के लिए 240 घंटे की एकल दिन की और 60घंटे की रात्रि उड़ान प्रशिक्षण एकल करना मुख्य उड़ान प्रशिक्षक या उड़ान प्रशिक्षक की देखरेख में पूरा करने के साथ ही म.नि. नागरिक उड्डन विमानन मंत्रालय द्वारा आयोजित उड़ान संबंधी विषयों में जिसमें रेडियो (दूरसंचार) मौसम, नेबीग्रेशन विमान, जैसे विषय होते हैं उत्तीर्ण करने होते

हैं। अधिकांश व्यावसायिक उड़ान करने वाले विमान चालक ये परीक्षाएं भी आधी अधूरी उड़ान और परीक्षा में पास किए बिना ही जेट किंगफिशर व अन्य एयरलाईन्स कं. में कम वेतन पर विमान उड़ाना शुरू कर देते हैं। जब यह तथ्य लगभग तीन वर्ष पूर्व समय माया ने छापा तो डीजीसी ने स्वीकार किया कि अधिकांश पायलेट सीपीएल पूर्ण किए हुए ही विमान उड़ा रहे हैं। ये सच है। इस प्रकार एयरक्राफ्ट एक्ट 1927 और 1932 का खुला उल्लंघन कर नागरिक बस्तीयों में और पर ये विमान 3000 मी. की कानूनी ऊंचाई तो दूर 300 मीटर पर ही मंडराया करते हैं। जिस पर हवाई अड्डे का हरामखोर भ्रष्ट लापरवाह एयर ट्राफिक कंट्रोलर कोई अंगुली उठाया है न पुलिस और न प्रशासन के साथ प्रदूषण मंडल भी कभी कुछ नहीं कहता। जबकि नागरिक बस्तियों पर 3000 मी से भी नीचे विमान उड़ाने पर वहां के नागरिक ध्वनि प्रदूषण से बहरेपन का शिकार होंगे।

दूसरा मौसम खराब होने, स्पष्ट न दिखने से कभी भी कोई भी विमान ऊंचे भवनों, मोबाइल टावरों, दूरसंचार टावरों से टकराने के खतरे भी बढ़ जाते हैं।यह बात श्री अजमेराजी ने पुलिस कंट्रोल रूम और एयर ट्राफिक कंट्रोल को कही पर सारे भ्रष्टों, **शेष पेज 2 पर**

अमेरिकी दादागिरी, व्यावसायिकता, साम्राज्य स्थापित करने

पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी हित संवर्धन संगठन

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व के सभी राष्ट्रों की संकर नस्ल का राष्ट्र है जो अपने साम्राज्यवादी सपनों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को भ्रमित कर अपने साम्राज्यवादी सपनों को पूरा करने अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को बेचने, जिसमें कृषि, जीएम, बीटीबीज, कीटनाशक आदि है। स्वास्थ्य संबंधी दवाओं को हजारों गुना कीमत पर बेचने के लिए दहशत फैलाने, नए रोगों के शिगूफे छोड़ने जैसे एड्स, कंडोम बेचने, हेपेटाइटिस की बीमारी, टीके बेचने, स्वाइन फ्लू की बीमारी की दहशत अपनी एच-1, बी-1 दवाएं बेचने आदि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कार्य करता है, जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन भी संयुक्त राष्ट्रसंघ का संगठन है जो कई देशों में जिनमें मेक्सिको, सोमालिया जैसे राष्ट्र हैं जहां इन धूर्तों ने पहले अपनी दवाएं और बीज बेचे, वहां कृषि फसलें चौपट हो गई, फिर सोमालिया भी सूखा भी पड़ गया। भूखमरी फैल गई, सत्ताधीशों के विरुद्ध बड़ा गृहयुद्ध हुआ। हमारे राष्ट्र में भी बीटीजीएम कपास व अन्य कृषि फसलों के कारण लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली, अभी इन हरामखोरों ने फूड सेफ्टी एंड स्टेन्डर्ड एक्ट की आड़ में जो हमारे यहां सन 2006 में लोकसभा में पास हो गया है। करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का षड्यंत्र भी इसी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के **शेष पेज 2 पर**

सम्पादकीय

'सत्ता, मौज मस्ती करने, अय्याशी करने, कमीशन खाने के लिए'

भारत में सत्ता कांग्रेस के हाथ में आते ही सत्ताधीशों को राष्ट्र की जनता से नहीं अपने एशो-आराम, अय्याशियों, मौज-मस्ती से मतलब होता है। इसके लिए वो जनता को बदले में महंगाई, परेशानियां, राशन की दुकीनों की लाइनों में खड़ा करने, दहशत बांटने, आतंकवाद फैलाने, देश को बेचने, गिरवी रखने, पूंजीपतियोंके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारों पर अधिनियम बनाने तक से नहीं चूकते।

अनुबंधित कृषि अधि. खाद्य सुरक्षा एवं स्तर अधि. देश की कृषि, खाद्यान्न को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने, देश के मूल कृषि जमीन के मालिक को उसी की जमीन पर बंधुआ मजदूर बनाकर उसका शोषण करने के लिए ही बनाए गए हैं। ताकि इन सत्ता भोगी गिद्ध कांग्रेसी गिरोह को एक मुश्तमोटा कमीशंन मिलता रहे, आम आदमी दाल-रोटी से भी वंचित हो आंसू बहाता हुआ उनके सामने गिड़गिड़ाता रहे। दूसरी तरफ ये रुपए 1 लाख प्रतिदिन के पांच सितारा होटलों में रहकर मौजमस्ती और अय्याशियां करते रहें। चार्टर्ड जहाजों में रंगरैलियां मनाएं। विदेश यात्रा पर जाएं, स्वीटजरलैंट की बैंकों में धन जमा करवाएं, जनता के मुंह से निवाला छीनें, अपने आलीशान महल बनवाएं।

देश की पश्चिम से उत्तर तक, उत्तर से पूर्व तक चारों तरफ शत्रु सीमाओं में घुस कर जनता को परेशान करें, देश की धरती पर विदेशी कब्जा जमाएं, आतंक का कहर बरपायें, ये होटलों में लाखों रुपए रोज के कमरों में बैठ, सब शांति का राग सुनाएं। शत्रुओं की हौंसला अफजाई करें। चीन और पाकिस्तान, तीनों तरफ से हमारी सीमाओं में घुसकर शान से बंकर बनाएं। 25-40 किमी अंदर घुसकर गांववालों को डराएं, धमकाएं। रेलवे लाईन डालें, सड़क बनाएं, हवाई अड्डे बनाएं, हैलीपैड बनाएं, सीमा के किनारे बसे लोग शिकायत करें तो जवान हड़काएं, वो जनका धन नोंचने खाते, डकारते, तस्करी करते न केवल वो शांति का राग अलापें वरन हमारा विदेशमंत्री व विदेशराज्यमंत्री भी जनधन से 5 स्टार होटलों में अपनी अय्याशी, मौज मस्ती में डूबें। शांति का राग अलापें। यदि स्वीकारेंगे तो इन शूकरों की पेशानी पर बल पड़ेंगे और उलझन बढ़ेगी।

कांग्रेसी गिद्धकृषि मंत्री शरद पंवार के आते ही बाजार से आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर, सब आसमान छूने लगे। क्योंकि कमीशन के लिए अच्छा माल विदेशियों को निर्यात कर दिया जब जनता चिल्लाने लगी तो स्तरहीन पुराना सड़ा हुआ गेहूं, दालें, शक्कर फिर मोटी कमीशन खाकर आयात कर लिया गया, फिर भी सारे गिद्ध चिल्लाते रहे मुद्रा स्फीति ॠणात्मक है, मंत्री का असर है।

जिस देश का कांग्रेसी प्रधानमंत्री अपने गणतंत्रता दिवस पर भाषण न देना पड़े, पड़ोसियों के आतंकवाद के विरुद्ध कुछ न बोले, इसलिए झूठी बाईपास सर्जरी करवाने के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाताहै, उस नपुसंक श्वान से क्या उम्मीद करें, देश, दुनिया और हमारे सिर उठाते शत्रु, उन्हें मालूम है कांग्रेसी अय्याशों, कमीशनखोरों को देश से नहीं अपनी जेब में बैंक में आते कमीशन की मोटी रकम से मतलब है।

जिस देश का नाकामयाब, डरपोक, कमीशन खोर, प्रधानमंत्री पड़ोसी पाकिस्तान जैसे छोटे से राष्ट्र के आतंकवादियों ने देश में घुसकर हमला किया, उनका तो कुछ कर नहीं पाए, वरन् उनके विरुद्ध बोलने से बचने के लिए जो स्वयं अस्पताल में भर्ती होने का नाटक करे उन नपुसंकों, डरपोक जो जनता के धन से अय्याशी करे, जिम्मेदारियों से बचने के लिए नौटंकियां करें, देश को बेचे, कमीशन खाए, जनता के मुंह से निवाला छीन, मौज मनाएं, शत्रु घर में घुस तांडव करें छिप जाए।

नागरिक विमानन... पेज 1 से जारी

लापरवाहों को फुर्सत ही इस ओर देखने की। दूसरा भारत में प्रशिक्षण विमानों से लेकर चार्टर्ड, यात्री, विमान, वायुसेना के सभी विमान विधेशों से सस्ती कीमतों में आयात ही तब किए जाते हैं जब वहां पर उन विमानों की निर्धारित आयु और परिचालन क्षमतापूर्ण हो चुकी होती है। ऐसे प्रशिक्षण यात्री, लड़ाकू परिवहन विमान, चापर्स पनडुब्बियां, जलपोत, युद्धपोत, भारत की राज्य सरकारें क्लब व्यवसायी, पूंजीपतियों से लेकर केंद्र सरकार, भारतीय थल सेना, जल सेना और खरीदती है। बदले में यो मोटा कमीशन हर कोई डकारता है। चाहे वो क्लब व्यवसायी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यात्री सेवा प्रदाता, राज्य सरकारों का व केंद्र सरकार का विमानन मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय, जिसके समाचार चारों तरफ समाचार पत्रों में हमारे प्रबुद्ध पाठक आए दिन पढ़ते रहते हैं।

महानिर्देशक नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी कोई बहुत समझदार, सतर्क, बुद्धिजीवी या विमानन विशेषज्ञ नहीं बैठते हैं। यहां भी भाई-भतीजावाद, कमीशनखोरी का रंग चारों तरफ छाया हुआ है। यहां प्रशिक्षण से लेकर हवाई अड्डों, एयर ट्रेफिक कंट्रोलर, जहाजों का जीवन, उनका रखरखाव से लेकर एयरवर्दी नेस प्रमाणने अधिकारी यात्री यातायात उड़ान समय निर्धारण आदि सभी विमानन से जुड़ी सभी बातों का निर्धारण प्रमाणन का कार्य किया जाता है। चूंकि भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है इसीलिए इस खतरनाक विभाग के कार्य का अंदाज भी बड़ा निराला है। जिसे हमने रेड्डी के चापर दुर्घटना कांड में देख लिया है कि कैसे चार घंटे बाद पूरा चेन्नई विमानपत्तन का वायु यातायात नियंत्रक हरकत में आया, जबकि यह बात मात्र 10 मिनट की थी, किसी भी विमान या चापर का नियंत्रण एकपत्तन की हवाई सीमा से टूटने के 10-20 सेकंड में दूसरे से जुड़ जाता है, परंतु चार घंटे तक इन हरामखोरों को सुध ही नहीं थी कि हैदराबाद के विमानपत्तन से संपर्क टूटते ही चैन्नई पत्तन पर संपर्क क्यों नहीं हो रहा। जबकि मोबाइल टावर के आखरी संपर्क से मात्र 1 किमी. के क्षेत्र में ही चापर टकराकर नष्ट हो गया था। वायुसेना की दक्षिणी कमांड पुलिस और सेना को खोजबीन में लगा दिया गया। पूरे देश में हवाई नियंत्रण यातायात को अगर निजी एयरलाईंस हर महीने मोटी रिश्वत न दे तो ये कई बार पट्टी खाली होने के बाद भी 15 मिनट से लेकर घंटे भर तक के लिए किसी भी जहाज को ऊपर उड़ते रही कहकर उसके ईंधन को बर्बादी और परेशान करते हैं।

इंदौर हवाई अड्डे का नजारा 9 मई 09 को देखने लायक था किंग फिशर की रायपुर उड़ान का विमान सुबह 8.30का क्लियरेंस 8.20 पर हो गया और वो रनवे पर 8.30 दौड़ने लगा, अचानक विमान सामने से गुजरने वाली पट्टी के पास जाकर रुक गया। 8.32 पर म.प्र. फ्लाइंग क्लब का प्रशिक्षण उस पट्टी पर क्रास करते हुए पट्टी पर लैंड कर गया। 8.34 पर किंग फिशर का विमान ने रनवे पर दौड़ लगाना शुरू की और 8.36 पर धरती छोड़ आकाश में तैरने लगा।

अब सवाल यह उठता है कि जब 8.30 प्रशिक्षु विमान को लैंड करने के लिए कहा गया था तो किंग फिशर ने 8.30 से पहले ही क्यों दौड़ना शुरू कर दिया था। क्यों रनवे पर दौड़ने की इजाजत दी गई। ऐसी घटनाएं रोज ही इस देश के हर विमान पत्तन पर घटती है जो स्पष्ट लापरवाही से ज्यादा होशियारी का परिणाम होती है।

दूसरा किंगफिशर के पायलेट जो भी विमान उड़ा रहे हैं। साथ ही वायु यातायात नियंत्रक भी भारतीय विमान अधिनियम 1932 व 37 का कितना पालन कर रहे हैं जबकि वो नागरिक बस्तीयों पर भी फ्लाई ओवर या लैंडिंग के समय 300 मी. तक उड़ते रहते हैं, जबकि 5750 कि.ग्रा. से ज्यादा वजन के विमानों को 3000 से 5000 फुट पर उड़ाना चाहिए। जिससे नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण के शिकार होने और दहशत का वातावरण निर्मित होता है ये नजारा हर रोज किंग फिशर की हर फ्लाटि के समय परदेशीपुरा, बाणगंगा, मरीमाता, सांवेर रोड से लेकर एयरपोर्ट तक रोज देखा जा सकता है। जबकि इसके विरुद्ध म.प्र. प्रदूषण मंडल, पुलिस व कलेक्टर, एटीसी इंदौर को चेतावनी देने में सक्षम है। पर श्री अजमेरा ने प्रदूषण मंडल के क्षे.प्र. मिश्रा पुलिस नियंत्रण कक्ष को कई बार अपनी शिकायत फोन पर दर्ज करवाई है पिछले 5वर्षीय।

ये सब लापरवाहियों के चलते पूरे प्रदेश व देश में सैकड़ों की संख्या में विमान तकनीकी रखरखाव के नाम पर सैकड़ों संस्थान विशुद्ध जालसाजों के अड्डे हैं। जिन्हें उनकी एबीसीडी नहीं आती वो छात्र-छात्राओं को ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश देकर बस पैसा ऐंठ रहे हैं और जिंदगी का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं जिन पर प्रशासन भी आंखे मूंद बैठा है, जबकि वो खुले में जालसाजी डिप्लोमा बांट रहे हैं। जबकि महानिर्देशक नागरिक उड्डयन ऐसे 90% संस्थानों को जानता तक नहीं, जबकि बिना उसकी जांच पड़ताल और मान्यता के ऐसे विमानन से जुड़े सारे पाठ्यक्रम औचित्यहीन हैं।

अमेरिका... पेज 1 से जारी

पूरा संगठन अमेरिकी हित साधने में दुनिया को बर्बादी का कारण

दबाव में ही बनाया गया है, ताकि किसानों को उनके ही खेतों पर बंधुआ मजदूर बनाकर सारी कृषि फसलों को आईटीसी जैसी कंपनियां खरीद कर मनचाही कीमतों पर माल बेचें और गरीब दाल-रोटी के लिए भी मोहताज हो जाएं, फिर खूनीक्रांति हो।

विश्व मानव अधिकार परिषद् भी अमेरिकी हितों को साधने के लिए उन देशों में सीधे हस्तक्षेप करने का काम करती है, ताकि लोगों के दिलों में सहानुभूति पैदा कर अपनी साख स्थापित करे, इसके विपरीत स्वयं अमेरिकी सेनाओं ने ईराक और अफगानिस्तान में क्या किया ये विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों ने देखा, जबकि अमेरिका भारत सरकार के विरुद्ध चाहे जब उल्टे सीधे आरोप लगाने, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में मीडिया में बदनाम करता है, जबकि अमेरिकी गुंआटो नामोजेल में क्या हो रहा है वह दुनिया पढ़ रही है, स्वयं अमेरिकी सरकार उसे बड़ा यातनागृह मानती है। स्वयं अमेरिकी सेना में जल, थल, वायुसेना में कार्यरत महिलाओं को पूरा वैश्या बनाकर ही भेजा जाता है, ताकि पुरुष सैनिकों की यौनेच्छाएं पूरी की जा सकें और उनका दिमाग काम में लगा रहे, इसी तर्ज पर भारत में भी सेनाओं में जल,थल, वायु में महिलाओं की भर्ती की जा रही है, ताकि महिला सैनिक अपने सहकर्मी सैनिकों की काम पिपासा को शांत कर उनका दिमाग काम में लगाए रख सकें।

क्या ये सब मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं? फिर जहां अमेरिका को लगता है कि उसकी दादागिरी नहीं चल पा रही है तो ये आयोग शोषण का आरोप लगाकर सहनुभूति इकट्ठी कर सैनिकों, जनता के मन में बगावती तेवर जागृत कर देता है। समयमाया पिछले 4-5 वर्षों से इस बात के अध्ययन में लगा हुआ था कि ये पूरा संगठन किस प्रकार से दुनिया में अपनी दादागिरी जमाने, सम्राज्यवादी मंसूबे पूरे करने के लिए कैसे-कैसे खेल खेलता है। इनका पूरा प्रसार माध्यम का जो संगठन है वो पूरे विश्व के मीडिया क्या, कैसे और कब कौन-सा समाचार छापकर अपना खेल खेलता विश्व के मानव मस्तिष्क में कैसे अपनी उज्जवल छवि को स्थापित करते हुए उस राष्ट्र के सत्ता संगठन को बदनाम करता है, जैसा कि भारत में कभी मानवाधिकारों के नाम, कभी कुपोषण के नाम, गरीबी यौन शोषण, सेक्स वर्करर्स, एड्स आदि के नाम की गतिविधियां सीएमएन, बीबीसी से लेकर भारतीय मीडिया में भी छाए रहते हैं।

ईराक में परमाणु बमों, रासायनिक हथियारों के नाम आक्रमण कर, तेल का खेल लाखों को मौत के मुंह में सुलाकर खेला ही गया। क्या किया संयुक्त राष्ट्र ने, संयुक्त राष्ट्र इसकी घरेलू व्यावसायिक संस्था है जैसा चाहेगा नचाएगा, पनी साम्राज्यवादी नीतियों के चलते, वर्तमान में 90 से ज्यादा देशों में उसकी सेनाएं हैं जो उसकी साम्राज्यवादी नीतियों पर स्पष्ट प्रमाण है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत ही विश्वव्यापार संगठन है, जो व्यापारी बन किसी भी देश में घुसने, उसके अच्छेमाल पर कब्जा जमाने, उसको अपना बताने का खेल करते रहते हैं। जिसके अंतर्गत बासमती चावल, शरबती गेहूं, नीम, हल्दी जैसे लाखों वर्ष पुरानी कृषि फसलों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश सभी इसी का प्रमाण हैं।

सूचना... पेज 3 से जारी

ये कोई नए नहीं है, ये सारे हरामखोर जिस कानून के पालन करने की रोटी खाते हैं उसी की कैसे धज्जियां उड़ा कर इन जैसे शूकरों ने ही इस सूचना अधिकार कानून को मजाक बना रखा है।

इस विभाग में अब चारों तरफ महिला अधिकारियों की भी बाढ़ आ गई है। जो खुलकर सभी किस्म का भ्रष्टाचार कर रही हैं और अपने आप को फिर भी महान समझ रही हैं। चाहे सीटीओ सुलेखा जैन हो, सूरज डामोर, मिकी अग्रवाल, ज्योति मेहता, श्रीवास्तव व अन्य सभी खुलकर भ्रष्टाचार करती हैं, कानूनों की धज्जियां उड़ाने में पुरुषों की अम्मा बन जाती हैं। पूछताछ करो तो अपने आपको दूध का धुला ईमानदार होने का ढोंग करती हैं, मक्कार, इनकी इन बत्तमीजियों से कर्मचारी और अधिकारी सभी परेशान रहते हैं। ज्यादा कुछ कहो तो सीधा आरोप छेड़छाड़ लगाने से भी नहीं चूकती। जब मन में आता, आएंगी, जब मन में किसी भी बहाने कार्यालय से गायब हो जाएेगी। चाहे बाजार में घूमकर मौजमस्ती में ही समय बिताएं। जैसे कि चारों तरफ देखने सुनने में लगातार आ रहा है, जितनी भी अधिकारी हैं इनके पास आखिर भारी खरीदारी करने साल दो साल में कारें खरीदनें का धन कहां से आ गया? लोकायुक्त की जांच का विषय है। जिसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। शीघ्र विस्तृत जानकारी निकाल कर लोकायुक्तों को भी शिकायत की जाएगी।

चीन की... पेज 1 से जारी

म्यांमार से ग्या माउंट, उशके फौजी बराबर भारतीय सीमा में रोज ही चहल कदमी करते हैं। उनके हैलीकाप्टर्स लैंड करते हैं। ग्या माउंट पर डेढ किमी तक इन चीनीयों ने जमे हुए पत्थरों पर लाल रंग से चीन लिख दिया है इसके विपरीत हमारे रक्षामंत्री ए.के. एंटोनी चुप रहा और विदेशमंत्री एस.एम. कृष्णायह सब झूठ है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कहकर चीन के दूतावास, चीनी सरकार के साथ दुनिया को ये श्वान सिद्ध कर बता रहे हैं कि तुम कुछ भी करो हम कुछ नहीं कहेंगे ये हालात बिलकुल 1959-60-61 और 62 की तरह बनते जा रहे हैं। यदि इन कांग्रेसियों का यही रुख रहा तो उनके बुलंद हौंसले दिल्ली को नीचा दिखाते-दिखाते झंडा फहराने की तरह बढने लगेंगे। अभी वो अपने इन कदमों से भारतीय सेना, सरकार के इरादे भांप रहे हैं। देख रहे है कि ये अय्याश,हरामखोर, कमीशन खोरों की फौज को जब देश बेचने से फुर्सत मिलेगी तब तक हम काफी अंदर तक कब्जा कर लेंगे। जैसा कि 1962 में हुआ।

भारत सरकार और भारतीय थल व वायु सेना जानती है कि वो चीन से टक्कर लेने में सक्षम नहीं है। बेशक यह सच है, परंतु इसके विपरीत हमारी सेना और सरकार का ढीला रुख, ठंडी सांसे, उसकी घुसपैठ को गलत बताना दबाना, उसके हौंसलों को तो लगातार बुलंद कर रहा है।

गुजरात से सियाचीन तक पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा जो लगभग 2000 किमी और उसके बाद माउंटग्या से लेकर म्यांमार तक लगभग 4000 किमी लंबी चीनी सीमा पर सामान्य चौकसी के लिए भी लगभग 2 लाख सैनिक 1000 से ज्यादा लड़ाकू विमान 500 से ज्यादा हैलीकाप्टर्स, सतत चौकसी और घुसपैठ होने पर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आवश्यक है। चीन और पाकिस्तान द्वारा लगभग छद्म रूप में 500 से ज्यादा मिसाइलें दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता और निकट के महानगरों पर भारत की तरफ मुंहबाए खड़ी है, वर्षों से जिसे गाहे बगाहे अमेरिकी एजेंसियों ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास 90 परमाणु बम हैं चीन के इरादे दुनिया में सबसे खतरनाक है, उसके पास रूस, अमेरिका की तरह हजारों में भी हो सकते हैं परमाणु बम, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, अब वह अमेरिकी एफ-16 विमान पाकिस्तान को दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी सामारिक शक्ति समुद्र तल से लगाकर अंतरिक्ष तक क्या है, क्योंकि अंतरिक्ष में भी वो उपग्रह भेदी सेटेलाइट किलरयान बन चुका है, जिसका परीक्षण भी किया जा चुका है।

अब हमारी स्थिति देखें कि हमारे पास परमाणु बमों का कितना जखीरा है, जबकि पूर्व के परमाणु बम परीक्षणों को नकार दिया गया है। हमारे देश के हुक्मरानों, सत्ताधीशों को इस बात का अंदाजा है। पर इस अंदाजे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीनी पाकिस्तानी घुसपैठ, युद्ध तक पहुंचेगी तब भी हमारे सत्ताधीश मौज मस्ती में व्यस्त रहकर खोखली बयानबाजी दुनिया के सामने चिल्ला कर तो काम नहीं चला सकते, तब भी जवाब तो देना ही पड़ेगा। नेपाल से भी चीनी सेना ही घुसेगी। क्योंकि नेपाल की औकात नहीं की वो चीन की सेना को घुसने से रोक सके वह भी जब-जबकि पूरे नेपाल पर माओवादी कम्युनिस्टो का कब्जा हो।

युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ही परोक्ष युद्ध करेगा उसके हथियार मिसाइलें टैंकों से लेकर लड़ाकू जहाज भी अमेरिकी ही होंगे। जिस अमेरका के सामने ये कटोरा लेकर खड़े रहते हो, उसकी गुलामी करते हैं पिछले 40वर्षों से पाकिस्तान को पाल कर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिलवा रहा है। चीन से हम कितने मोर्चों पर युद्ध करेंगे वो अरुणाचल, नेफा, मिजोरम, लद्दाख को हथियाने के लिए अनेको मोर्चे एक साथ वायु व थल से खोलेगा तो सोवियत रूस अब रह गया है, अकेला अब वो हमारा कितना सहयोग कर पाएगा। कितने समय बाधित सुखोई मिग 29,30 देगा भी तो अविश्वसनीय होंगे। फ्रांस सहयोग करेगा भी तो सीधे नहीं। सेना में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 15 से 20 हजार अधिकारियों की तत्काल जरूरत केवल थल सेना को ही है। वायुसेना को भी पायलट्स चाहिए। उसके पायलेट्स जो लड़ाकू मालवाहक विमान उड़ा सकते हैं, जिसके प्रशिक्षण उसी को देना है। उसके पास प्रशिक्षण विमानों का अभाव है। पर हमारे सत्ताधीश सत्ता के नशे में डूबे, किसानों से लेकर युवाओं तक को सट्टाजुआ, कंडोम की प्रैक्टिस करवाने में लगे हैं। उनका मा.सं. विकासमंत्री 5वी, 8वीं, 10वीं,12वीं की परीक्षाएं खत्म कर देने पर तुला है, क्योंकि उसे युनेस्को से अरबों रुपए मिल रहा है। नास्त्रेदम की भविष्यवाणी भी है कि चीन मंगोलियन युद्ध करते हुए भारत में काफी अंदर तक घुस आएंगे, फिर अमेरिका सहयोग करेगा, शायद सिद्ध करने पर तुले हैं हमारे सत्ताधीश।

वाणिज्य कर भ्रष्ट शूकरों का अड्डा

सूचना का अधिकार में पत्र देख भड़क उठते हैं डकैत

इंदौर।

म.प्र. वाणिज्यकर में 5वर्षों से ज्यादा समय से कुंडली मार बैठा आयुक्त पी.के. दास का आखिर दीर्घावधि के बाद स्थानांतरण हो ही गया। जब तक यह मोटी चमड़ी का भ्रष्ट ईंडियन एव्यूसिंग सर्विश अधिकारी पद पर था तब विभाग के भ्रष्ट अधिकारी बड़ी प्रशंसा करते थे। बड़ा ईमानदार है परंतु समय माया परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर लगातार सन 2005 से ही छपवा रही है कि ये गिद्ध कैसे जमकर दोनों हाथ वसूली कर पूरे वाणिज्यकर विभाग में मोटेभ्रष्टों का धन की वसूली के बदले कानून की धज्जियां उड़ा रहे था यही कारण था कि कई मोटी चमड़ी महाभ्रष्ट तीन वर्षों से ज्यादा समय से अभी तक एक ही पद पर बैठे हुए हैं जैसे संभाग 1 में बैठा एस.पी. सिंह जो 4वर्षों से ज्यादा समय से जमा बैठा है। दूसरा भ्रष्ट अय्याश संभाग 2 का आर.सी. पालीवाल, जिसे संभाग से हटाया अवश्य गया, परंतु मोटी कमाई देने वाले इस डकैत को भी संभाग दो से हटाकर मुख्यालय इंदौर में ही पदस्थ कर दिया गया। जबलपुर संभाग से सहायक आयुक्त टी.के. वेद को जो पूर्व में भी करोड़ों रुपए की संपत्ति इसी भ्रष्टाचार से इकट्ठी कर चुका था मोटी रकम देकर पुनः इंदौर में पदस्थ कर दिया गया। आर.के. शर्मा, आर.के. सलूजा, एन.एन. झा भी मोटा भ्रष्टाचार का धन देकर ही अपने पदों पर कुंडली मारे बैठे हैं। एसी प्रदीप दुबे भी इंदौर डीपी शर्मा, मोटा पैसा खर्च करके ही इंदौर में ही जमें रह पाएं हैं।

आयुक्त पी.के. दास जाते-जाते भ्रष्टों से वसूली कर मनचाही पदस्थापनाएं दे गया

आयुक्त पी.के. दास जाते-जाते मोटा धन वसूली कर स्थानांतरणों की औपचारिकताएं पूरी कर गया, क्योंकि लगातार समयमाया भी उस भ्रष्ट की वसूली की खबरें छाप रहा था। यहां पर बैठे भ्रष्ट सांडों को जो कानून के अंतर्गत पदस्थ हुए कानून के अंतर्गत काम करने के लिए उसी के अंतर्गत जनता के धन से वेतन पाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये शूकरों की फौज सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिए गए पत्रों को देख कैसे भड़क जाती है इसका उदाहरण 09-09-09 को संभागीय अपील आयुक्त एस.एन. गुप्ता को जब सूचना के अधिकार में पत्र दिया गया तो ये शूकर ने अपने कुकर्मों की कहानी जनता में जाते देख भड़क गया और पत्र लेने से साफ मना कर दिया, फिर वही हाल परमार ने भी किया। अपील लो आयुक्तों को बस अवैध पैसा वसूली करने के लिए कह दो। अपीलें आई, पार्टियों, कर दाताओं को उन्हीं सीधी छूट देकर दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए बैठे हैं। सूचना के अधिकार में पत्र देखकर सांड़ की तरह हर भ्रष्ट भड़कता है **शेष पेज 2 पर**

गृह नि.स. संस्थाएं असली अपराधी अभी भी पर्दे के पीछे

सहकारिता से मिलकर करो सदस्यों का बंटाधार

सारे अपराधों की जड़ व संरक्षण दाता सहकारिता विभाग

इंदौर।

पिछले 40-50 वर्षों से चल रहे नेताओं, भूमाफियाओं, सहकारी गृह निर्माण और कालोनी संस्थाओं के साथ म.प्र. सहकारिता विभाग जो इस गिरोह का वैधानिकीकरण करने वाला शासकीय गिरोह था, जिसमें अरबों रुपए का पूरे प्रदेश में खेल रहा था, लगभग 40वर्षों बाद पुलिस प्रशासन के साथ न्यायालयों में मामले पहुंचे हैं। बेशक लाखों लोगों का अरबों रुपए से ज्यादा इन भू-माफिया नेताओं, सफेदपोश डकैतों ने हजम कर रखा था। जो 4 दशक के लंबे अंतराल के बाद प्रशासन पुलिस और न्यायालयों ने हाथ डालकर खंगाला है। बेशक जो गृह निर्माण की संस्थाएं अभी क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में आई है। वो इंदौर में सन 2000 तक पंजीकृत 2700 संस्थाओं की मात्र 1% है। दूसरा सभी बड़े-बड़े कांग्रेस, भाजपा के नेता विधायकों को पूर्ण रूप से इसमें बचाया जा रहा है। तो क्यों और कैसे अर्थात 2700 संस्थाएं जो सन 2000 तक पंजीकृत थी उनमें 27-30 संस्थाओं पर मात्र कार्यवाही किया जाना, जिलाधीश पुलिस और न्यायिक व्यवस्था को संदेह के घेरे में ले आता है। दूसरी ओर यह संदेह शासकीय कार्यालयों, जिलाधीश कार्यालय, नजूल, भू-अभिलेख, सभी जिलों के साथ प्रधान कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर, हर जिले के जिलाधीश कार्यालयों में बैठा कालोनीसेल, नगर निगमों पालिकाओं का कालोनी सेल, नगर एवं ग्राम निवेश के जिला कार्यालय, संभागीय कार्यालयों और भोपाल का मुख्यालय नगर एवं ग्राम निवेश उस काल से लेकर वर्तमान तक के उसके सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने भी काले धंधे में सहकारिता की तरह ही सबसे सहकारी संस्थाओं के सदस्यों के साथ जालजासी से करोड़ों रुपए बटोरा और वसूला है। सन 2000 तक अविभाजित म.प्र. में जिसमें से छत्तीसगढ़ के भी 16 जिले शामिल थे लगभग 28000 से ज्यादा गृह निर्माण सहकारी संस्थाएँ थी सभी बड़े-बड़े गुंडे बदमाशों से लेकर भू-माफियाओं के साथ सभी पार्टियों के नेता विधायक, सांसद तक इस काले धंधे में से न केवल धन बटोर रहे थे और बटोर रहे हैं।

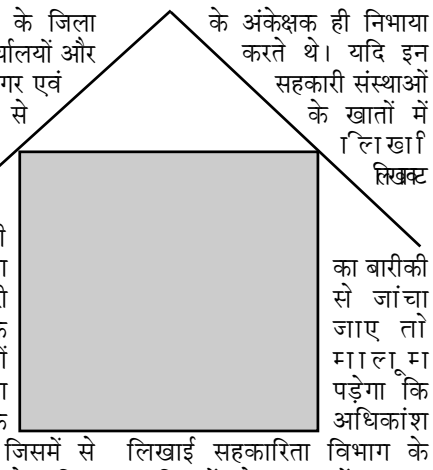

यही कारण था कि संयुक्त संचालक पंजीयक जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर ने सूचना के अधिकार में दिए गए पत्रों के जवाब यह कहकर नहीं दिए जाते थे कि सहकारिता विभाग में सूचना का अधिकार अधि. 2005 इसके पूर्व म.प्र. सूचना का अधिकार अधि. 1998 लागू नहीं होता है। जब ज्यादा दबाव डाला गया तो पत्र ले लिया और जवाब वहां बैठे हरामखोरों ने वहीं गोलमाल तरीके से दिया गया।

सूचना के अधिकार में संयुक्त संचालक म.प्र. नगर एवं ग्राम निवेश में बैठे धूर्त मक्कारों जो छोटे से बाबू से लेकर नगर शिल्पज्ञ, इंजीनियर, उपसंचालक, सहायक संचालक, संचालक से लेकर बाबालूल गौर मंत्री तक सब इस धंधे में ऊपर से लेकर नीचे तक न केवल शामिल हैं, वरन् सहकारिता के संचालक संयुक्त संचालकों, उपसंचालकों, सहायक संचालकों, अंकेक्षकों, इसी प्रकार नगरनिगमों पालिकाओं के कालोनी सेल, सहायक आयुक्तों, आयुक्तों आदि के इस प्रकार पंजीयन मुद्रांक, भू-क्रय विक्रय के जिला अधिकारियों, सहायक पंजीयकों तक के अनेको प्लाट इन्हें औने-पौने में देकर इन्हें भी इन गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में उल्टे-सीधे कार्यों को अंजाम देने के लिए अनुग्रहित किया गया है। इसलिए या सारे शूकरों की फौज किसी भी लूटपाट, प्लाट आवंटन से लेकर सहकारी संस्थाओं के चुनावों से लेकर दस्तावेजी हेरा-फेरी, अंकेक्षण, लेखांकन आदि में पूरा सहयोग करती थी। सहकारिता के श्वानों अंकेक्षकों का तो यह हाल था कि वे ही सारे हरामखोर जालसाज अंकेक्षक ही ऐसा गृह निर्माण संस्थाओं के हिसाब-किताब, अंकेक्षण, गृह निर्माण संस्थाओं के विकास और प्लाट आवंटन के नाम पर हेराफेरी करते और करवाते थे। बदले में मोटा धन प्लाटों आदि में वसूलते थे। इसलिए ये अंशकालिक उनके मुनी भी की भूमिका सहकारिता के अंकेक्षक ही निभाया करते थे। यदि इन सहकारी संस्थाओं के खातों में लिखाई लिखट का बारीकी से जांचा जाए तो मालूम पड़ेगा कि अधिकांश लिखाई सहकारिता विभाग के आडिटरों के रूप में पदस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों की ही पाई जाएगी। जिनसे आसानी से उन अंकेक्षकों को पकड़ इन संस्थाओं की सच्चाई विभागीय अंकेक्षकों से ही मालूम की जा सकती है।

40वर्षों से चले आ रहे इस गोरखधंधे को प्रकाश में लाने, पुलिस न्यायालय, जिलाधीश कार्यालय, नगरनिगमों पालिकाओं में हडकंप मचाने और मचवाने का यह कार्य अपने आप नहीं हुआ, न ही संस्थाओं के सदस्यों की करुण पुकार सुनकर इन भ्रष्ट सत्ताधीशों ने स्वयं उठाया है वरन इसके पीछे शहर में आई बड़ी हाउसिंग व कालोनी कंपनियों के मालिकों ने पैसा खर्च कर इस मामले को उठवाया है। ताकि उनके बनाए मकानों की तरफ पीड़ितों को आकर्षित कर लूटा जा सके। दुसरी ओर ये कार्यवाही भी ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, जैसे ही पुलिसिये अधिकारियों, कलेक्टर व उसके कार्यालय के एस.डी.एम. व अन्य अधिकारियों, न्यायालयीन व्यवस्था के अधिकारियों को मोटी 'घूस और प्लाट' मिलते ही सहकारिता की तरह यह भी जालसाज भू-माफियाओं के इशारे पर नृत्य करते नजर आएंगे। यही कारण है कि बड़े जालसाज नेताओं, कांग्रेस, भाजपा दोनों ही पार्टियों की किसी हाऊसिंग सोसायटी पर हाथ नहीं डाला जा रहा है, आखिर क्यों? क्यों बचाया जा रहा है फिर इंदौर में बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कहने पर इन गृह निर्माण संस्थाओं ने हाथ डाला गया, फिर उच्च स्तर के भोपाल में बैठे सचिवों जो उसे समय जिलाधीशों के पदों पर हर जिले में बैठकर इन भू-माफियाओं के इशारे पर काला पीला करके गए जिसमें अजीत जोगी, सुधीरंजन मोहंती, मनोज श्रीवास्तव, सुलेमान खान जैसे मुखैरे गिद्धों की फौज भी शामिल रही है। को क्यों बचाया जा रहा है, जबकि अनेको प्लाट भी ऐसी सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं में भी है। दूसरों के नाम से जो इनके ही रिश्तेदार हैं।

इंदौर के साथ ही ऐसी गृहनिर्माण सहकारी संस्थाओं के जाल ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, उज्जैन, सागर संभागों से लेकर देवास, शाजापुर, धार, रतलाम आदि प्रदेश के हर जिले में फैला हुआ है और हर सहकारी संस्था में कोई न कोई कांग्रेसी भाजपाई नेता भी जुड़ा हुआ है जो पूरा समंदर है। आखिर ये सब अछूते क्यों रहें हैं, जबकि हर सहकारिता की संस्था का संचालक चाहे वो साख सहकारी संस्थाएं, बैंकिंग, विपणन, दुग्धसंघ सभी में जालसाजियां की और करवाई जा रही है की क्योंन बख्शा जा रहा है।

अकेले अपेक्स बैंक में बीस वर्ष रहकर सुभाष यादव ने अरबों रुपए के घोटाले किए। महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक, गुजरात मार्केटाइल सहकारी बैंक से लेकर शासन के अंतर्गत चलने वाली म.प्र. एपेक्स बैंक, जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जैसी संस्थाओं से लेकर ग्रामों की सहकारी बैंक और समीतियां भी हर कदम-कदम भ्रष्टाचार का तांडव कर रही है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। न्यायालय में जालसाजी, लूटापाट के प्रकरण चलाए जाने चाहिए।

इति सहकारिता पदाधिकारी मिलकर करो सदस्यों का बंटाधार, जो चिल्लाए उसे सदस्य बनाओ और निपटाओ, उलझाओ।

म.प्र. शासन के उच्च अधिकारियों की सालसाजीयों का उत्कृष्ट नमूना

भोपाल-इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लि.

हरामखोरों, धूर्तों का गिरोह कहता सूचना का अधिकार हम पर लागू नहीं

इंदौर।

पिछले 4वर्षों से संचालित किया जा रहा भोपाल में भोपाल सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लि. और इंदौर का इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लि. म.प्र. शासन के उच्च इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों की जालसाजी और लूट-खसोट का उत्कृष्ट नमूना है। यहां बैठा धूर्त नकली डिग्रीधारी जो वास्तविकता डिप्लोमा इंजीनियर है ए.एम.आई.ई. का प्रमाणीकरण घर बैठे प्राप्त कर म.प्र. लोक निर्माण विभाग के जालसाजी से प्राप्त मुख्य अभियंता पद का सेवानिवृत्त एस.सी.गर्ग बोलता है कि ये हम पर लागू नहीं होता।

यदि ये लि. कंपनी है तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत न तो इन धूर्तों ने कंपनी का इनकारपोरेशन प्रमाण पत्र दिखाया न ही फिर इनके पास व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र होगा। न ही यहां बैठे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में बैठे एडीएम स्तर का जिलाधीश कार्यालय का अधिकारी ये बताने को तैयार था कि इस कंपनी की कुल अंशपूंजी कितनी है, इसके संचालकों के पास इसके कितने अंश हैं? कितनी प्रदत्त पूंजी है, कितनी अदत्त पूंजी है।

जब संभागायुक्त इसका अध्यक्ष जिलाधीश प्रबंध संचालक क्षेत्रीय परिवहन आधिकारी, पुलिस अधीक्षक, निगमायुक्त, इसके संचालक मंडल के सदस्य हैं जो सभी शासकीय अधिकारी, जिन्हें शासन से अपने पदों पर दायित्व निर्वहन का वेतन मिलता है। कैसे किसी भी लाभ क़े पदों पर बैठ सकते हैं जो बिलकुल गैर कानूनी है। फिर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई थी कि इस कंपनी की पिछले तीन वर्षों की लाभ-हानि खाते और बैलेन्स शीट की प्रतियां दे दें। आखिर हरामखोर दोनों हाथों से लूट खसोट में लगे हों कैसे अपने कुकर्मों का चिट्ठा दे दें। ये सारे जालसाजों का गिरोह एक तरफ तो बसों के चालकों को मात्र रुपए 4000/- का वेतन देकर उनका ईपीएफ काट कर रुपए 3600/- का भुगतान दे रहा है तो दूसरी तरफ बुकिंग कंडक्टर को मात्र 3000/- प्रतिमाह देकर मात्र रुपए 2640/- का भुगतान देकर रुपए 360/- ईपीएफ में काटकर जमा कर रहा है। अर्थात ये सारे धूर्तों का गिरोह प्रशिक्षित श्रमिकों को भी जिलाधीश मजदूरी दरों का भुगतान स्वयं ही नहीं कर रहा है। यदि शासन के अधिकारियों ने शासन के आदेश पर किसी कंपनी की स्थापना की है तो शासन के ऐसे कंपनी की स्थापना के आदेश भी जारी किए होंगे। उसकी छायालिपियां मांगी गई थी वो भी डकैतों ने नहीं दी। सच तो यह है कि शासन के इन धूर्तों ने अपनी जालसाजियों को जनता तक सच्चाई न पहुंच जाए पत्र ही डकार गए ये श्वानों की फौज।

सारी बसें भी ठेकेदारों से अनुबंधित कर लगाई गई हैं। कुछ बसें एक ही कंपनी है जो संभवतः नगरीय प्रशासन के धन से खरीदी गई है। बाकी बसें भी इनके ही खास चहेतों की है। उसमें भी भारी लूटपाट और अनुबंध के हिसाब से ही धन बांटा जा रहा है। उसमें भी इन सबकी ही हिस्सेदारी है।

वास्तविकता में इन सारे जालसाजों की इस **शेष पेज 4 पर**

रमजान मुबारक
वेरायटी
हार्डवेयर सेन्टर

उच्च क्वालिटी, आधुनिक एवं सभी स्तर के थोक व फुटकर हार्ड वेयर विक्रेता

14, जवाहर मार्ग, (मोहम्मदी मार्केट)
पटेल ब्रिज के पास, इंदौर
फोन : (ऑ.)2476147, 2364068
(नि.)2366169, फेक्स 0731-2476147

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं
सोमवार 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2009

सूचना आयोग के जालसाज कमाई के लिए भ्रमित कर रहे हैं–

सामान्य प्रशासन भी भ्रमित कर रहा, शासन को

प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी उतने ही अधिकार जितने आयोग को

म.प्र. सूचना आयोग में बैठे जालसाज हरामखोर कैसे अपनी कमाई और सिक्का चलाने के लिए सामान्य प्रशासन को निर्देशित कर पूरे प्रदेश के शासन को न केवल भ्रमित कर बदनाम कर रहे हैं, वरन ये शूकरों की फौज जानबूझकर मामले को उलझाने, प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपने पास बुलाकर कठघरे में खड़ा करने, अपनी शक्ति सम्पन्नता दिखाने और आवेदकों को भी परेशान करने की चालें चल रहा है। म.प्र. सूचना आयोग में बैठे तीनों धूर्त, मक्कार, म.प्र. शासन के ही वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन हरामखोरों ने पद पर रहकर लूटपाट और भ्रष्टाचार तो किया ही और अपने निकम्मेपन, बत्तमीजियों, कानूनों का उल्लंघन कर अपनी कमाई तो की ही साथ अपनी आगे आने वाली जनता की पीढ़ियों और प्रशासन की वर्तमान और भविष्य की फौज को भ्रष्ट, नकारा और निकम्मा बनाया। इसके सप्रमाण कई दस्तावेजों को न केवल छापा गया वरन इन हरामखोरों की जालसाजियों की शिकायत भी लोकायुक्त को की गई है।

यहां पर बैठे तीनों आयुक्त जिसमें मुख्य आयुक्त पी.पी. तिवारी, आयुक्त इकबाल अहमद और दिनेश जुगरान तीनों ही म.प्र. शासन से सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी नोंच खसोंट की मानसिकता बदलने की तो दूर अपने निकम्मेपन, भ्रष्टाचार और जालसाजियों की मानसिकता भी बदलने को तैयार नहीं।

इनके कुकर्मों की फेहरिस्त में मुख्य कुकर्मों तो कई बार समयमाया ने प्रकाशित कर चुका है, जिसमें प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कुकर्म और जालसाजी तो ये है कि इन्हें साथ से पत्र देकर प्राप्ति की तारीख भले ही वही हो पर आयोग के आवक रजिस्टर में ये श्वान 45 से 60 दिन बाद ही पंजीकृत करते हैं। दूसरे ये श्वानों की फौज आवेदक को अभिस्वीकृति भेजती भी है तो उसमें अनावेदक का नाम अपील की तारीख और विषय तक पूरा नहीं लिखा जाता, तीसरा 12/10/05 से अभी तक कोई भी अपील इन मक्कारों ने90 दिन तो दूर 180 दिन में भी सुनावा नहीं कर सके। जो इस आयोग में बैठे मुख्य सूचना आयुक्त पी.पी. तिवारी आयुक्त इकबाल अहमद और आयुक्त दिनेश जुगरान के साथ पूरे स्टाफ की हरामखोरी बत्तमीजी और निकम्मेपन के स्वयंसिद्ध उदाहरण हैं।

27/05/09 को म.प्र. के सामान्य प्रशासन विभाग के सूचना अधिकारी प्रकोष्ठ ने एक परिपत्र क्रमांक एफ. 12-अ/सूअप्र/09/1-9 भोपाल दिनांक 07/05/09 जारी किया, जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी को अनावेदक के विरुद्ध कोई भी दंड या शास्ति देने से धारा 19 (8) ब और स के अंतर्गत बाधित कर दिया गया। उस परिपत्र की प्रति यहां प्रकाशित की जा रही है जो सामान्य प्रशासन के निकम्मेपन की महिमा मुर्खता और भ्रष्ट सूचना आयोग के हाथों की कठपुतली बन नाचने और स्वाविकाधिकार का प्रयोग न करने का आदेश देता है।

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
सूचना अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय
क्रमांक एफ-12ए/सूअप्र/09/1-9
भोपाल दिनांक 07/05/2009
प्रति,
1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागायुक्त
5. समस्त कलेक्टर्स
6. समस्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,मध्यप्रदेश

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील का निराकरण करने बावत्।

उपरोक्त विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील प्रकरणों के निराकरण के संबंध में शासन की जानकारी में कुछ ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें प्रथम अपील पर अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को क्षतिपूर्ति राशि अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है जो कि स्पष्टतः अधिनियम की धारा 19 की परिधि में नहीं आता है। अधिनियम की धारा-20 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने एवं क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का अधिकार राज्य सूचना आयोग को प्रदत्त है।

2/ शासन की जानकारी में ऐसे प्रकरण भी आए हैं जिनमें प्रथम अपील पर अधिनियम के प्रावधान अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा न तो सुनवाई की गई एवं ना ही विधिवत आदेश Speaking आदेश पारित किया गया। अपीलीय अधिकारियों का उक्त कृत्य यह इंगित करता है कि अपीलीय अधिकारी अधिनियम की मंशा को समझने में अभी भी असमर्थ हैं।

3/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदक द्वारा जानकारी के लिए प्रस्तुत आवेदन अथवा अपील का निराकरण अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी को इस संबंध में अपने हस्ताक्षर से स्पष्ट पारित करना आवश्यक है। आदेश में अधिनियम को धाराओं एवं उन कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जिनके आधार पर जानकारी देना अस्वीकार किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आदेशानुसार लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त प्रथम अपील का निराकरण अधिनियम की धारा-13 के प्रावधान अनुसार करना सुनिश्चत करें।

(डॉ. अरुण गुप्ता)
उप-सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
भोपाल दिनांक-07/05/09
पृष्ठ क्रमांक एफ-12-13/सूअप्र/09/1-9
प्रतिलिपि-
1. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय जबलपुर
2. सचिव लोकायुक्त, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल,
3. सचिव म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर,
4. राज्य के सचिव, राजभवन भोपाल,
5. प्रमुख सचिव म.प्र.विधानसभा सचिवालय विधानसभा भोपाल
6. सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय भोपाल
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल
8. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन अरेरा हिल्स भोपाल,
9. सचिव/ उप सचिव म.प्र. राज्य सूचना आयोग, 58 निर्वाचन भवन अरेरा हिल्स भोपाल को उनके पत्र क्रमांक-ए-0444/रासुआ/38/06/हरदा/08/3601 दिनांक 23/3/09 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
10. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल म.प्र. भोपाल
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर/खंडपीठ, इंदौर/ग्वालियर
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय भोपाल।
13. अपर सचिव मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय भोपाल,
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र मध्यप्रदेश भोपाल
15. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
16. महानिदेशक,प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय

अब प्रश्न यह उठता है कि जब प्रथम अपीलीय अधिकारी को जो अधिकार अपील सुनने के लिए दिए गए हैं वो औचित्यहीन हो जाते हैं। दूसरा प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति ही इस आदेश से औचित्यहीन हो जाती है, तो क्यों प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त कर शासन के अधिकारियों का समय, धन, बर्बाद किया जा रहा है। इसे समाप्त कर सीधे प्रथम अपील सीधे आयोग को ही भेज दी जाती तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब आयोग अपील सुनेगा तो आवेदक का कम से कम 30 दिन से 90 दिन तक का समय प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास क्यों बर्बाद करे?

इन सबके विपरीत यदि प्रथम अपीलीय आवेदक की अपील का निराकरण अपने स्तर ही दंड और शास्तिकर प्रयोग कानून के अंतर्गत कर देता है तो केवल आवेदक वरन लोकायुक्त अधिकारी दोनों ही जनता को सूचना आयोग के दीर्घकालीन प्रक्रिया और वहां की भ्रष्टाचारिता, निकम्मेपन, जालसाजी से प्रथम अपीलीय अधिकारी के त्वरित निर्णय से ही मिल जाएगा।

शासन प्रशासन की इस अधिनियम में प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति के पीछे मंशा यही थी लोक सूचना अधिकारी का वरिष्ठ व्यक्ति जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में स्थापना की गई है कि वो आवेदक की अपील को सुनकर यथायोग्य कानून के अनुसार जो उसे केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के सामान्तर दिए गए हैं दंड और शास्ति आरोपित कर भविष्य में लोकसूचना अधिकारी को अधिनियम की गंभीरता को समझकर आवेदनों पर शीघ्र यथोचित कार्यवाही कर सम्पन्न करे।

यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक की परेशानी का निवारण करते हुए दंड और शास्ति धारा 19 (8) ब और स में नहीं करता है तो भविष्य में अन्य आवेदकों को भी न केवल परेशानी उठानी पड़ेगी वरन यदि आवेदक की समस्य का प्रथम अपील में अपीलीय अधिकारी ने निराकरण कर य क़रवा नहीं पाया तो द्वितीय अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी भी अनावेदक रगथ सूचना आयुक्त से समझ खड़ा हो सफाई देने और स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगा। साथ ही द्वितीय अपील के निराकरण में डेढ़ वर्ष से दो वर्ष तक लगेंगे। यह सामान्य प्रशासन में बैठे हरामखोर सचि और उपसचिव को समझ नहीं आया। शायद सूचना आयोग के आयुक्तों ने इस भ्रष्टाचार को फैलाने और ये परिपत्र को ज़ारी करवाने के लिए इन भ्रष्ट सूचनायुक्तों ने सामान्य प्रशासन को जो सारी अपीलों में लोक सूचना अधिकारियों को बचाने आवेदकों की अपीलें निरस्त करने में प्राप्त धन में से 25%, 40% कमीशन देना स्वीकार लिया होगा।

जितनी अपीलें आयोग के पास जायेंगी उतनी मोटी कमाई इन बूढ़े, खूसट गिद्धों, आयुक्तों को होगी अधि. की धारा 17(3)ई में शिकायतें इनके भ्रष्टाचार के दस्तावेजी सबूतों के आधार पर राज्यपाल को करने पर राज्यपाल इन शूकरों की फौज को हटाने का आदेश दे सकता है।

प्रशासनिक स्तर पर भी चारों तरफ दहशत

करेगा तो, नहीं करेगा तो, मरेगा, ये है नरेगा

भारत शासन की ग्रामीणों की वर्षभर में 100 दिन का रोजगार देने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में चारों तरफ ग्रामीणों को रोजगार के नाम पर बड़े-बड़े आई.ए.एस. अफसरों से लेकर सरपंचों तक की खूब उचट कर लगी है या खुदा ने खुद आकर छप्पर फाड़ कर गांवों के सरपंचों, सचिवों, उसके दलालों, उपयंत्रियों, बैंकों से लेकर जनपद सचिवों, जनपद अध्यक्षों, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, विधायकों, सांसदों तक को बरसा दी।

सबसे पहले यह योजना देश में आदिवासी जिलों में लागू कर दी गई थी। सौभाग्य से इंदौर संभाग में उस समय भी धार, बड़वानी, झाबुआ, खंडवा, खरगोन पांच जिले थे। खुलकर झूठे जाबकार्ड बनाए गए और हाथ पैर के अंगूठे लगाकर अरबों रुपए सरपंचों, सचिवों जो गांव के ही थे से लेकर जनपदों के अध्यक्ष व सचिवों, जिला पंचायत व अन्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों न खुलकर धन डकारा फिर पूरे देश में ये योजना लागू की गई, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके, पर भ्रष्टाचार की आंधी में ग्रामीणों को आधी अधूरी मजदूरी देकर पैसा डकारा गया। अरबों रुपए चारों तरफ धार, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा में बैठे कार्यपालन यंत्री श्वान बड़कुल के कार्यों की जांच में तो दिल्ली का जांच एजेंसी ने बड़कुल को रुपए 137 करोड़ की ग्रेज जाब राबरी कांड का सरगना बताया था, इसके विपरीत भी ये धूर्त पिछले छह वर्षों से वहीं जमा बैठा है। कोशिश में है कि वहां से स्थानांतरण खरगोन हो जाए, ताकि वहां भी लूटपाट और डकैती डाल सके।

सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक मची है लूट व बंदरबांट

इन सारी हकीकतों और पूरे देश में इस योजना में हो रहे भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसके भुगतान की प्रक्रिया को बैंकों के माध्यम से कर दिया पर सरकार में बैठे उच्च पदस्थ डाल-डाल चलते हैं तो नीचे बैठे भ्रष्ट पात-पात चलते हैं। जिनके पहले से झूठे जॉब कार्ड बने हुए हैं, उन्होंने बैंकर्स के साथ मिलकर उनके खाते भी खुलवा दिए, अब झूठे ही उन्हें काम पर दिखाकर 20 से 40% कार्डों का पैसा टाइम कीपर, सरपंच, उपयंत्री, सचिव से लेकर हिस्सेदारी करते हुए सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग जनपद मु.का.अ. से लेकर जिलापंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तक सब डकारने में लगे हैं।

वैसे वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (नेशनल रूरल इंप्लायमेंट ग्यारंटी) नरेगा की स्थापना से ही भ्रष्टाचार का षड्यंत्र प्रधान सचिव ग्रामीण विकास से लेकर राज्यों बैठे प्रधान सचिवों, सचिवों, आयुक्तों से लेकर जिलापंचायत अधिकारियों, सरपंचों तक ने अपनी-अपनी गोटियां अपने-अपने हिसाब से बैठा ली थीं। पर इस मामले में म.प्र. के तत्कालीन महाभ्रष्ट प्रधान सचिव व प्रदीप भार्गव ने लंबी और ऊंची चाल चलते हुए अपनी बीभी की दिल्ली स्थित इनोवेटिल प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इस नरेगा में सुपर वाइजरों, सहायक अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं, अधीक्षण यंत्रीयो, लेखाधिकारियों से लेकर बाबू, चपरासीयों तक की नियुक्तियों में ऊंचे पदों के लिए रुपए 25 हजार से लेकर रुपए 1 लाख तक छोटी-मोटी बाबुओं की नौकरियों में भी रुपए 5 से 10 हजार तक इस गिद्ध इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी ने डकार कर पूरे म.प्र. 2 से 3 हजार कर्मचारियों की पूरी फौज अपनी बैठा दी, दूसरी तरफ इस श्वान ने प्लेसमेंट, नौकरी देने की सेवाओं के नाम पर ग्रामीण विकास विभाग के नरेगा से भी पैसा डकारा।

नरेगा के अंतर्गत जो कार्य करवाए जा रहे हैं उनमें 60% मजदूरी और 40% सामग्री के हिसाब से प्राक्कलन तैयार और स्वीकृत किए जाते हैं। जिसमें 40% पूरी सामग्री का पैसा संबंधित उपयंत्री और सहा. यंत्री ही डकार जाते हैं। 60% मजदूरी के नाम पर **शेष पेज 6 पर**

भोपाल, इंदौर... पेज 3 से जारी

जालसाजीपूर्ण लि. कं. खड़ी करने की योजना के पीछे पूरे प्रदेश में म.प्र. राज्य परिवहन निगम की तरह पूरा प्रदेशभर में बसें चलाने का इरादा है। पर इनकी जालसाजी इंदौर-भोपाल जैसे महानगरों में सफल रहती है तो ये सभी रूटों पर पूरे प्रदेश में ऐसा गाड़ियां चलाकर बाले-बाले ही धन कमा सकेंगे। जनता को दिखाने के लिए रहेगा कि सब सरकारी है। जबकि वहीं सरकारी अधिकारी केवल लाभ की क्रीम चाटने के ही भागीदार होंगे। अभी इंदौर से पीथमपुर और महू बसें चलाई जा रही हैं। देवास-उज्जैन मार्ग पर बसें बड़े-बड़े दादा पहलवानों ने इन बसों को चलाने में अडंगे अटका दिए वरना तो बसें दौड़ाने की पूरी तैयारी थी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकारी अधिकारी कैसे लाभ के पद पर बैठकर यह लि. कं. चला रहे हैं। जन शासन के अधिकारी हैं जो शासन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इन पर लागू क्यों नहीं होगा? ये धूर्त जानकारी क्यों नहीं देंगे?इसके विपरीत भारतीय कंपनी अधि. 1956 व उसके सभी संशोधनों के साथ भी यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अंशधारी या अन्य जो इस अधि. 1956 में पंजीकृत है व्यवहार करने वाला कोई भी व्यक्ति संस्था रुपए 1/- जमा करवा कर कंपनी की बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाते से लेकर कंपनी पंजीयन व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति मांग सकती है। पर ये सारी व्यवस्थाएं जब लागू होती है, जबकि कंपनी पूर्णरूप कानूनों का पालन करके काम कर रही हो, जहां पैसा जनता से वसूल कर शासन ने दिया हो साथ में सभी संचालक, प्रबंध संचालक वैध रूप से वैधानिकता के साथ कार्य कर रहे हों, तब तो वो जानकारी दें। बड़ी-बड़ी फोटो, प्रशंसा पत्र समाचार पत्रों में धन बांटकर छपवाने का उद्देश्य ही यही था कि इनकी जालसाजियों पर कोई अंगुली न उठाए ये जो काला-पीला करें बसें चलवायें, फिर बसों के लिए सड़कें बनवाने के नाम पर करोड़ों डकार जाएं। ये सफेद पोश डकैत नेताओं और डाकुओं से ज्यादा घातक, जालसाज षड्यंत्रकारी है जो जनता शास. मशीनरी, नेताओं, अपराधियों सबको मोहरे की तरह उपयोग कर नोंचते, खाते-पीते हाथ पोंछते और स्थानांतरण करवा कर चल देते हैं।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

हिन्दी दिवस १४ सितम्बर–राज–भाषा

दैनिक कर रहे हिन्दी का सत्यानाश

वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां नहीं जानती शुद्ध मातृभाषा का स्वरूप

हिन्दी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया है। इसके विपरीत हमारे राष्ट्र के वर्तमान हालात ये हैं कि हम ही धीरे-धीरे विद्यालयों में सारी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दे रहे हैं। गांवों के उत्तरी भारत के प्राथमिक और माध्यमिक व शहरों के राज्य सरकारों के विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दे रहे हैं। स्वाभाविक है मातृभाषा में और मातृभाषा हिन्दी की शिक्षा के अभाव में हमारे ही राष्ट्र में हम ही हिन्दी का घोर अपमान कर रहे हैं। इसका परिणाम जो वर्तमान में सामने आरहा है, कि 10वीं और 12वीं उर्त्तीण हिन्दी और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी न तो ढंग से हिन्दी लिख-पढ़ सकते हैं और न ही अंग्रेजी, भाषायी रूप से हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भारी भाषायी पंगुता की ओर धकेल रहे हैं।

दूसरी ओर बची-खुची कसर दैनिक भास्कर जैसे पूरे देश में प्रकाशित होने वाले सैकड़ों दैनिक समाचार पत्र भी हिन्दी भाषा के समाचार पत्र में शुद्ध हिन्दी छापने की तो दूर हिन्दी इंग्लिश की ऐसी खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं कि शुद्ध हिन्दी इंग्लिश जानने वाले भी सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। इंग्लिश और हिन्दी का बोलचाल की ये जो लुग्दी प्रकाशित करते हैं वो आने वाली और वर्तमान पीढ़ी को क्या हिन्दी इंग्लिश की शुद्धता भूला देगी।

भाषा के संबंध में नई दुनिया ज्यादा बेहतर और शुद्ध हिन्दी प्रकाशित करता है उसके पाठक हिन्दी को बेहतर तरीके, बोल, लिख और पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय दैनिकों में इँडियन एक्सप्रेस का जनसत्ता भी बेहतर हिन्दी संस्करण नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान में हिन्दी इंग्लिश की लुगदी ही परोस रहे हैं। जहां तक पत्रिका और राजएक्सप्रेस का सवाल है तो विशुद्ध दुकानदारी कर रहे हैं। न इनकी भाषा और न ही दूसरा प्रस्तुतिकरण परिपक्व स्तर स्वाभाविक है जो कच्ची उम्र के पत्रकार है न तो उनके पास ज्ञान है न अनुभव और न ही समाज, राष्ट्र और विश्व के भविष्य के प्रति गहरी सोच है। तीव्र कम्प्यूटराइजेशन ने वर्तमान में हिन्दी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को न केवल नया आयाम दिया, वरन विश्व स्तर पर मान्यता भी स्थापित की है।

हिन्दी संस्कृत का अपभ्रंश रूप तो है ही साथ ही हिन्दी जो वर्तमान में बोली, लिखी और पढ़ी जाती है उसमें उर्दु के भी सैकड़ों शब्द ऐसे शामिल हो चुके हैं कि जो हमें हिन्दी का ही शुद्ध रूप समझ में आते हैं। वैसे ही जासे कि वर्तमान में कई इंग्लिश शब्द हिन्दी का रूप मसझ आने लगे हैं।भाषा के संबंध में इतिहासकारों, पुरातत्वविद, पौराणिक शास्त्रों से यह निष्कर्ष सामने आता है कि विश्व की सभी भाषायें प्राकृत संस्कृत की ही अपभ्रंश हैं। सैकड़ों शताब्दियों पूर्व संस्कृत जहां-जहां जैसी फैलती गई सुविधा और वातावरण के अनुकूल ढल कर वह उस राष्ट्र, क्षेत्र के स्वरूप के रूप में बदलती और ढलती हुई विभिन्न भाषाओं और लिपियों के रूप में वर्तमान में हमारे सामने है.।हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का दुर्भाग्य ही है कि हिन्दी विश्व के दूसरे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र की राजभाषा होने के बाद भी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को उनके मातापिता हिन्दी विद्यालयों में पढ़ाना ही नहीं चाहते, इसके विपरीत अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों और विद्यालयं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है जो वास्तविकता में इस राष्ट्र की वर्तमान और भावी पीढ़ी को भाषायी पंगुता दे रही है।केंद्र और उत्तर भारत के राज्यों की सरकारें हिन्दी के प्रति गंभीर है पर ये गंभीरताएं राजभाषा के प्रसार और प्रचार के नाम आए धन डकारने तक ही सीमित है। साथ ही कुछ केंद्र व राज्य शासन के विभाग राष्ट्र की आजादी के 62 वर्ष बाद भी हिन्दी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग है न्यायिक विभाग 62 वर्ष की आजादी के बाद भी प्रदेश के उच्च न्यायालय और उसकी शाखाएं व सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाएं हर काम हिन्दी भाषा में करके संविधान में घोषित राजभाषा का कितना सम्मान कर रहे हैं ये श्रेष्ठतम उदाहरण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और राज्यसभा के सामने हैं। जनता तो चुनकर सांसदों को भेज देती है, जिन्हें सांसद बनने का अर्थ लूटना, खाना और मौज उड़ाना होता है वे इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों की चिंता पालते ही कब हैं। फिव ये अधिकांश सांसदों के अपने स्वयं ही इतने कुकर्म होते हैं कि उन्हें न्याय और न्यायालय का नाम सुनते ही कंपकंपी आने लगती है। तो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी की वकालात करने और लागू करने की बात तो दूर।हिन्दी फिल्मों, गानों, योग आयुर्वेद आदि को अपनाने की चाहत और सीखने की ललक ने बेशक हिन्दी को विश्वस्तरीय भाषा का स्तर अवश्य प्रदान कर दिया है। यही कारण है कि हम भले ही मातृभाषा को यह मानत्याग रहे हो, परंतु विश्व के लोग योग और आयुर्वेद से निरोग रहने की कला को जानने और समझने के लिए हिन्दी को अपना रहे हैं।

शक्कर की जमाखोरी --

पृष्ठ 8 का शेष....

अन्यथा पीछे की सीट की टंकी से ट्रकों जो शिवराजसिह के गृहनगर शाहपुरा और सीहोर तक चलाए जा रहे हैं। भरपूर मिट्टी का तेल उपयोग किया जा रहा है। भोपाब से अधिकांश द्वितीय श्रेणी अधिकारियों और कर्मचारियों में घरेलू गैस सिलेंडरों का खुलकर उपयोग किया जा रहा है वैसे यह हाल इंदौर, उज्जैन से लेकर ग्वालियर, जबलपुर में भी चल रहा है। अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की अधिकारियों की कारों में खुलकर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग होने के बाद भी उन पर कार्यवाही की अपेक्षा आम नागरिकों की कारों को जरूर रोक-रोक जांच की जा रही है। पेट्रोल पम्पों से भी ये हरामखोर दोनों हाथ वसूली में जुटे हैं। गैस में ब्लैक में सारी होटलों में बेचा जा रहा है। इंदौर- यहा दीर्घकाल से बैठे परमार और उनके शार्गिदों की वसूली के संबंध में वर्षों से समयमाया लगातार प्रकाशित करता आ रहा है। पेट्रोल पम्पों पर हर महीने5-10 हजार प्रतिमाह की वसूली लगभग 120 से ज्यादा पेट्रोल पम्पों से की जारही है, इसलिए मिलावट की पूरी छूट है। कंपनियां स्वय़ं अपने पम्पों की ज्यादा शिकायतें मिलने पर कार्यवाहियां करे तो करे वरना खुलकर मिलाओ मिट्टी तेल और रिलायंस के डकैतों कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन्हें न तो अब पेट्रोल में मिलावट से मतलब है न टैंकर भरते समय जांच करने से।गैस के नाम पर भी होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यहां तक कि ट्रेजर आयलैंड में तक घरेलू सिलेंडरों का उपयोग हो रहा है और उस पर धौंस ये कि हम तो कंपनी से सीधा कोटा आबंटित करवाते हैं तो भाइये बताओ कि घरेलू गैस सिलेंडर क्यों टैंकर में करवाएं या व्यावसायिक सिलेंडर में करवाइए। ये सब महीना वसूली के हिस्से हैं। यहां पर भी बीपीएल और एपीएल का गेहूं खुले बाजार में बिकवाया जा रहा है। गांवों की समीतियों और शहर की राशन दुकानों का भी ये हाल देवास, उज्जैन, शाजापुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन का भी है। सारे खाद्य निरीक्षकों को राशन दुकानों पेट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों से महीना बंधा हुआ है। अभी नया कांड जैसा कि केंद्र सरकार के केंद्र की सत्ता में आने से उम्मीद की जाती है कि उसे जनता को परेशान कर राशन की लाइनों में खड़ा कर धूप में तपता देखकर बड़ी आंतरिक प्रसन्नता होती है। फिर खाद्य मंत्री राक्षस शरद पंवार हो और जनता शक्कर के लिए न रोये। राम-राम घोर पाप हो जाएगा। इसलिए रुपए 15 की शक्कर बाजार में 35-40 बिकना स्वाभाविक था, शक्करक की जमा खोरी के नाम पूरे प्रदेश में वहां बैठे खाद्य नियंत्रकों, जिला अधिकारियों, खाद्य निरीक्षकों की उचट कर लगी है। हरामखोर परमार को लोहामंडी में उतरी 300 बोरी शक्कर के बारे में जब बताया गया तो बोलता है व्यापारी है 300 बोरी शक्कर ज्यादा होती है, जबकि उसके पहले ही ये श्वानों की फौज उससे रुपए 50000/- का लेनदेन कर चुकी थी और उसे अलग-अलग गोडाउन करने का निर्देश दे चुकी थी। इसलिए उस मंधानी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। शक्कर के चक्कर में पूरे प्रदेश का खाद्य विभाग दोनों हाथ वसूली में जुटा है। चाहे वह भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा जैसे संभागीय मुख्यालय हों या प्रदेश के 40 अन्य छोटे शहर।हमारे संवाददाता श्रीभारद्वाज ने भोपाल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में सूचना के अधिकार में पत्र देकर विभाग से राशन दुकानों पर बिकने वाली सामग्री पेट्रोल पम्पों, गैस वितरकों आदि को उनकी बिक्री पर मिलने वाले कमीशन के बारे में जानना चाहा था हमारखोरों की फौज 15 दिन से उनके वंदे को रोज आजकल कहकर टरका रही है। आखिर गिद्ध के घोंसले में मांस की उम्मीद।

५ हत्याएं, शासन को करोड़ों का चूना, लोकायुक्त प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित

मु.अ. डामोर को पदोन्नत करने की पूरी तैयारी

हत्याकांडों की सीबीआई, दूसरे कांडों की जांच आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो से करवाई जाए

भोपाल।

म.प्र. की भाजपा सरकार कैसे अपराधियों और भ्रष्टों को पालरही है समयमाया पिछले कई वर्षों से लगातार प्रकाशित कर रहा है। ताजा प्रकरण म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में मु.अ. डामोर इंदौर अंचल का है। जहां पर बैठे इस मुख्य अभियंता के द्वारा कदम-कदम की जालसाजियों और अपराधों का विवरण समयमाया लगातार प्रकाशित कर रहा है। इसके विपरीत इस हरामखोर की फाइल बार-बार मुख्यमंत्री कार्याबय तक इसीक पदोन्नति के लिए लोक स्वा. यांत्रि. विभाग के मंत्री श्री बघेल के कार्यालय से पहुंचा दी जाती है।

इसके खाते में 5 हत्याएं हैं जिसमें एक इसकी पहली पत्नी की, मामला आत्महत्या में पैसा बहाकर बदलकर मामला रफादफा, दूसरा सरदारपुर में धार के बीच दुर्घटना में दिखाकर मारा गया, दुर्घटना में बदल कर यहां भी पैसा बहाकर मामला रफादफा, फिर तीन हत्याएं इसमें एक में समझौता करके मामला कत्म किया गया। दो हत्याओं में भी पैसा खर्च कर बरी हो गया। बाद में दो हत्याओं के बाद और रिश्तेदारों को डरा धमका और पैसा खर्च कर निकला। प्रकरण उच्च न्यायालय में नहीं लगाया गया है।

भ्रष्टाचार तो डामोर ने हर कदम किए और खुलकर जालसाजियां कर पैसा डकारा गया। खरगोन का मामला जो लोकायुक्त के हत्थेचढ़ गया था लोकायुक्त के प्रकरण के विरुद्ध बंदा उच्च न्यायालय में स्थगन पर चल रहा है। चूंकि इसकी पत्नी सूरज डामोर जो अभी वामिज्यकर विभाग में है जिसके कुकर्मों और जालसाजियों के बारे में पूर्व में समयमाया ने काफी छाप है अपने इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी होने का फायदा उठाकर इस गिद्ध को बचा रही है।

यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लोकायुक्त ने यह प्रकरण किसी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर आरोप पत्र देता तो उसे तत्काल विभाग निलंबित कर देता। इसके विपरीत इस पर आरोप पत्र जारी किए हुए 6 माह से ज्यादा हो जाने के बाद भी इसे शासन भ्रष्ट मंत्री बघेल ने और मुख्यमंत्री कार्यालय ने निलंबित नहीं किया। उल्टे ही धन डकार वह श्वान भी बार-बार फाइल पदोन्नति के लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेज देता है।

इसके द्वारा की गई 5 हत्याओं की जांच सीबीआई को करना चाहिए क्योंकि म.प्र. शासन बचाते-बचाते उसे यहां तक ले आया कि उसे दिन में भी प्रमुख अभियंता बनने का ख्वाब दिखता है। ये अपने कुकर्मों को दबाने, पैसा डकारने के लिए कार्यपालन यंत्रियों, सहयंत्रियों, को इस कदर प्रताड़ित करता है कि झाबुआ का कार्य. यंत्री पंडित बेचारा दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया, उसने बाईपास करवाने से पहले ही शासन से व्ही.आर.एस. मांग लिया अभी इसका प्रकरण और जो सामने आया है, जिसमें इस पर रुपए 5 करोड़ की वसूली निकली है। इस भ्रष्ट जी.एस. डामोर मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र इंदौर की पदस्थापना अवधि में जलप्रदाय योजनाओं हेतु डीआई पाईपों के क्रय में एक्साईज ड्यूटी को भुगतान में छूट प्राप्त नहीं करने के कारण व त्रुटिपूर्ण आदेश देने के कारण शासन को लगभग रुपए 5 करोड़ की हानि पहुंचाई गई है तथा इस राशि की वसूली अंततः श्री डामोर से होना है, पर यह प्रकरण अभी दबाकर रखा गया है जिससे पिछले दरवाजे से पदोन्नति प्राप्त करने एवं उसके बाद इस प्रकरण में कार्यवाही शुरू हो।

श्री डामोर मुख्य अभियंता द्वारा पाईपों के प्रदाय आदेश एक्सीज ड्यूटी सहित किया जाना सोची-समझी नीति के तहत किया गया, क्योंकि इन कंपनियों को एक्साईज पैमेन्ट के बाद केंद्र शासन से एक्साईज के बदले अनुदान राशि प्राप्त हो जाती है तथा एक्साईज भुगतान की शर्त पर कंपनी ने भी इन आदेशों को श्री डामोर से ले लिया तथा इसके बदले उन्हें अच्छी तरह से उपकृत भी किया।

बाद में ए.जी. के वार्षिक निरीक्षणक में एक्सीज ड्यूटी के इस पैमेन्ट पर आपत्ति ली गई, क्योंकि पानी की योजनाओं के लिए सरकुलर के अनुसार कलेक्टर का सर्टिफिकेट देने पर एक्सीज नहीं देना पड़ती और छूट ली जाती है जो श्री डामोर ने नहीं किया तथा कोई छूट नहीं प्राप्त करते हुए 5 करोड़ का एक्सीज भुगतान पहले फर्म से करा दिया और बाद में विभाग से फार्म का यह पैमेन्ट करा दिया गया। ए.जी. आडीट के बाद आब्जेक्ल लेने पर फर्म के दूसरे अन्य बिलों से यह राशि काटने के लिए ई.ई. पर दबाव डाला गया तथा अन्य बिलों से राशि काटना अनियमित होने के कारण ई.ई. में उन्हें मना किया और श्री डामोर द्वारा ई.ई. को इसके लिए प्रताड़ित किया गया। जिसके कारण बाद में संबंधित ई.ई. श्री पंडित द्वारा सेवानिवृत्ति ली गई। इसके बाद श्री डामोर ने सीधे लघु उद्योग निगम को पत्र लिखकर भुगतान की जा चुकी 5 करोड़ की एक्साईज को दूसरे बिलों से काटे जाने हेतु लिखा पर यह कार्यवाही पूरी तरह गलत होने के कारण फर्म ने इस पर आपत्ति ली है और यह पूर्ण राशि श्री डामोर से वसूल की जाना है। पी.एच.ई. विभाग में छोटी-मोटी गलतियां होने पर कर्मचारियों को सस्पैंड किया जाता है और पेपर में छपवाया जाता है। जबकि पांच करोड़ के इस भ्रष्टाचार की फाईल दबाकर रखी जाती है और दूसरे रास्ते से उसी अधिकारी को परमोशन देनेकी कार्यवाही की जाती है। श्री डामोर के कार्यकाल की गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की लोकायुक्त रिपोर्ट आन के बाद ही कोर्ट से स्टे लेकर उन पर कार्यवाही नहीं होती तथा प्रमोशन देने की तैयारी की जातीहै तथा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को उपकृत करने का प्रयास किया जाता है, जिसका कारण सभी को अच्छी तरीके से मालूम है।

नमूने....

पृष्ठ 8 का शेष....

निभाकर नमूना पास करवाया। इसी धनोतिया के हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर के भी नमूने लिए गे थे। इसे गुणवत्ता के आधार पर तो सही ठहरा दिया गया, परंतु बेच नं. और तारीख न होने के कारण मिस ब्रांडेड बताया गया, इसमें भी इस से.नि. ब्यानी ने ही दल्ले की भूमिका निभाई। वैसे तो वर्तमान में 9 खाद्य निरीक्षक इंदौर में, 5 देवास में, 5 उज्जैन में, 5 शाजापुर में हैं. हर किसी को औसतन 10 नमूने न्यूनतम से 15 नमूने तक हर माह लेने होते हैं। अधिकांश मामलों में नए निरीक्षक भी वसूली में ही विश्वास रखते और ये सारे हरामखोर दो-तीन वर्ष में ही करोड़पति बनने का ख्वाब भी देखते हैं। वही हाल पूरे म.प्र. में नव नियुक्त हुए लगभग 250 निरीक्षकों का है। उज्जैन का जालसाज अरविंद पथरोल और देवास में उसकी बीवी श्रीमती सुषमा पथरोल ने 3 वर्ष में ही रुपए 16 लाख की इनोवा कार कैसे खरीद ली। इसके विपरीत अगर इंदौर को ही देखें तो इंदौर के खाद्य निरीक्षकों के न्यूनतम में 90 से 135 नमूने प्रयोगशाला को भेजना चाहिए। इन सब नमूनों में अधिकांश मोटी पार्टियों से चूंकि पचौरी का अधिकांश समय इंदौर में ही पूरा किया है साथ ही देवास, उज्जैन और शाजापुर में कार्य संभाला है, स्वाभाविक है अधिकांश पार्टीयों से पचौरी के संबंध हैं। एक नमूने पास करवाने के अकेला पचौरी रुपए 25 से 50 हजार वसूल कर ये दल्ला आधे पैसे वरिष्ठ विश्लेषक को देकर आधे डकार जाता है। इस प्रकार इन चारों जिलों में से तीन इंदौर, उज्जैन, देवास के हर महीने से 30 से 50 नमूने पास करवा कर रुपए 3 से 5 लाख कमा रहा है यही कारण है कि अभी इसने सेवानिवृत्ति के बाद भी इँडिका खिस्टा कार खरीदी है। इस दल्ले पर भी कार्यवाही की जाना आवश्यक है।

टी.आई., एस.आई., हैड कांस्टेबल को भी छुट्टी का हक है

आखिर इंसान हैं पुलिस वाले भी

खाकी वर्दीवाले, बीवी- बच्चों, अफसरों और जनता की गाली खाने के लिए पैदा हुए

म.प्र. पुलिस का नाम आते ही हर व्यक्ति बच्चों से लेकर बुजुर्ग के जहन में शासकीय अधिकारियों से लेकर न्यायाधीशों के मन तक में खाकी वर्दी की वसूली, भ्रष्टाचार, छल कपट की बातें उठती हैं। बेशक कुछ तो सच है, इन सबके विपरीत सबसे बड़ा सच यह भी है कि उस खाकी वर्दी के अंदर एक साधारण इँसान भी रहता है जिसके पास भी दिल और दिमाग वह भी भय, भूख, काम, क्रोध,मद मोह का आपकी हमारी तरह शिकार है कोई देवपुरुष या महिला तो नहीं, फिर कौन सा स्त्री-पुरुष धरती पर पैदा होकर पूर्णतः झूठा, मक्कार, भ्रष्ट होता है या कौन 100% सच्चा या ईमानदार होता है, बेशक खाकी वर्दी का बुखार, तन, मन को कुछ ज्यादा ही तपाता है। यह सच है कि कोई साधु महात्मा भी पुलिस की वर्दी पहना कर छोड़ दिया जाए तो वो भी वही करेगा जो ये कर रहे हैं।

दूसरा ये किस परिस्थितियों, काम का दबाव, अफसरों,मंत्रियों, नेताओं, न्यायालयों की झिड़कियों को सहते सुनते और दौड़ पड़ते हैं अपनी ड्यूटी पर जबकि सिपाहियों, हैड कांस्टेबलों तक को 12 घंटे, 6-6 घंटे के हिसाब से दो शिफ्टों में नौकर करना पड़ती है जो कि न्यूनतम है अधिकतम तो 24 में से 18 घंटे भी जरूरत पड़ने पर लगे रहना पड़ता है इसके साथ ही सप्ताह में तो दूर 15 दिन या महीने में भी एक भी छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि श्रम अधिनियम में श्रमिकों को सप्ताह में 48 घंटे ही नौकरी करने का प्रावधान सन 1920 से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमानुसार किया गया है। तो आखिर कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल, ए.एस. आई. एस.आई. और टी.आई. क्या इनसे भी गए बीते हैं। इन्हें भी प्रदेश सरकार को भर्तियां कर 72 घंटे सप्ताह में नौकरी लेने के बाद तो 1 दिन का अवकाश क्रमबद्ध तरीके से देना ही चाहिए, ताकि वे भी तरीके से अपने तन, मन, को आराम दे कर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सके, दूसरी और समय के अभार में बीवी बच्चों को समयन देने पर वो मन ही मन घरेलू काम न होने पर गालियां देते हैं। तो थानों पर, बंगलों पर जहां ड्यूटी लगा जाती है, कुछ भी उल्टासीधा होने पर अपने वरिष्ठों की झिड़कियां और गालियां खाते हैं, तीसरी तरफ जनता भी गालियां ही बकती है और उनकी निगाह में खाकी वर्दी सरकारी अपराधी है। अब यदि ये कानून से चलते हैं तो वरिष्ठों का वरिष्ठों के ऊपर अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं का पूंजीपतियों का दबाव रहता है कानून से नहीं चलते हैं तो जनता की गालियां, इतना सारी परेशानियों, उत्पीड़नों के उपरांत भी वो अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन तो करते ही हैं।

अभी हाल ही में सी.एस.पी., ए.एस.पी.को आधा दिन कर साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा भी ऐसे की गई जैसे इन्हें कोई रुपए का खजाराना दे दिया गया, सरकारी अधिकारियों को कर्मचारियों को महीने में 6-7 अवकाश तो मिलते हैं इसके बाद त्यौहारों की पूरी छुट्टियां मिलती हैं, ये हरामखोर 365 दिन में से मात्र 250 दिन काम करके भी 365 दिन का वेतन जनता की जेब से वसूल लेते हैं, जबकि ये पुलिस वालें जिन्हें समाज की घरेलू समस्याओं से निपटने से लेकर नगरों, शहरों की शांति और कानून व्यवस्थाओं से निपटना है क्षेत्र में घटने वाले अपराधों, अपराधियों, फरियादियों को न केवल संभालना है कानूनी और मानवीय रूप से भीतो शासन-प्रशासन, जनता सब उनसे ही उम्मीद करे जो जानवरों की तरह जीवन यापन करने के वर्दी पहनकर जुता रहे, आखिर कब तक?

शासन प्रशासन और जनता चुने हुए पार्षदों, विधायकों, सांसदों को नहीं चाहिए कि इन्हें सबसे पहले जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं अवकाश की व्यवस्था करें, अगर फौज अधिकारी कम हैं तो अरबों रुपए उल्टे सीधे कामों में बर्बाद किया जाता है, इससे पहले पुलिसकर्मीयों, अधिकारियोंा की भर्ती करें, प्रदेश में लाखों बेरोजगार हैं, उन्हें भी अवसर देकर इन्हें राहत की व्यवस्था की जाए।

ये पुलिस वालों की तारीफ के नहीं परेशानियों की गाथा है ये केवल सारांश है, आखिर हर परेशानी अशांति सुरक्षा के लिए हम जाते हैं, थानों में ही है। चाहे अधिकारी, नेता, जनता कोई भी हो पर किस तरह अपने कर्त्तव्यों की निर्वहन करते हैं, उनसे या उनकी घरवालियों से पूछो, आखिर जनता को यह भी मालूम तो पड़ना ही चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार में बैठे गृहमंत्री और गृहसचिव इन्हीं के दम पर मटका, बड़े माफियाओं से अरबों रुपए महीना वसूलते हैं उन हरामखोर गृहमंत्री और सचिवों को ही राज्य सरकारों को निर्देश देकर इन्हें छुट्टी का हक और जीवन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जांच, पूछताछ व निर्देश देने चाहिए।

With Best Compliments on
Dushhera & Navratri

Divya Jyoti Industries Limited
500 TDP Solvent Plant
Mfg: Soya Solvent Oil, Doc
Office: 409, Apollo Tower 2, M.G. Road Indore
Ph: 2527335, 2527336
Works : M-19-39, Sector II, Industrial Area, Pithampur
Dist. Dhar
Ph: 256390, 256391

करेगा तो, नहीं... पेज ३ से जारी

काम अधिकांश जगह मशीनों से करवा कर नरेगा के मजदूरों के 20% से 30% जॉब कार्ड जो वास्तविक है का भुगतान बैंकों से मजदूरों को मिल जाता है। बाकी फर्जी जॉब कार्डो का पैसा सरपंच सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्रीयों से लेकर जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक मिलकर डकार जाते हैं। पूरे झूठे मस्टर जिसमें जॉब कार्ड नं. और नाम डाले जाते हैं। उनकी सारी सूची और पैसा बैंक में जमा कर बैंक के बाबू और प्रबंधक से मिलकर प्रति 10 मजदूरों के भुगतान पर रुपए 250/- से लेकर रुपए 500/- तक लेकर सारा भुगतान सरपंच, सचिव निकाल कर मजदूरों को आधारभूत भुगतान कर उपयंत्रियों और सहा. यंत्रीयों के साथ उनका हिंस्सा देकर डकारा जा रहा है।

अब मुश्किल यह आती है कि नरेगा की पूरी टीम अलग है जो काम तो ग्रामीण यांत्रिकीय और मुख्य कां.अधि. जिला पंचायत के अंतर्गत करती है। सामग्री आदि का 40% पैसों में से 20% सीधा स्वयं डकारती है। 20% के साथ 25% मजदूरी का अर्थात 65% पैसा हर जिले में केवल भ्रष्टाचार में डकारा जा रहा है।

दैनिक कार्य प्रगति में सारे झूठे आंकडे भरकर प्रस्तुत किए जाते हैं। अधिकांश काम पहले ही प्राक्कलन न स्वीकृत होते ही ठेकेदार,मशीनों से करवाकर पूरा कर लेते हैं। फिर दैनिक जरूरत के हिसाब से दैनिक प्रगति पत्रक और नाप पुस्तिका पर चढ़ा दिया जाकर केवल औपचारिकताएं पूरी की जाती है। मशीनों से काम करने की विडियोग्राफी और शिकायतों में चूंकि कार्य शुरू होने और कार्यादेश जारी होने के पूर्व ही हो जाने पर की गई शिकायतें व्यर्थ हो जाती है।

इस योजना के अंतर्गत सरपंच सचिवों से लेकर क्षेत्रीय विधायकों, लठैतों, डकैतों जिसमें गांव अधिकारी, अंकेक्षक से लेकर जि. पं. मु.का.अ. शामिल है हिस्सेदारी तो हर किसी को चाहिए और गर्दन फंसी होती है उपयंत्री और सहायक यंत्रीयों की चाहे फिर वो नरेगा के हों, वन विभाग, लोकनिर्माण, जल संसाधन किसी के भी हों, इन झूठे मस्टरों जॉब कार्डों के चक्कर में लपेटे में तो आते हैं। धन बांटते हैं तो मरते हैं काम नहीं करते हैं तो मरते हैं कि धन का उपयोग क्यों नहीं किया गया, उल्टे-सीधे कार्यों के चक्कर में पिछले महीने ही दो उपयत्री जिलाधीश देवास ने निलंबित कर दिए थे कि उनके कार्यों में धन और कार्य की गड़बड़ियां पाई गई थीं। बाद में इन सभी उपयंत्रियों ने जिलाधीश देवास के विरुद्ध मोर्चा खोलकर काम बंद हड़ताल कर दी थी।

इस कारण नरेगा के मामले में प्रशासनिक स्तर पर यह कहानी सामने आई कि नरेगा करेगा तो नहीं करेगा तो मरेगा।

मुख्यमंत्री, लो.नि.म. प्र.स., सचिव सब जालसाजी में शामिल

प्र.अ. भ्रष्टाचार के लिए उधेड़ रहे कानून की धज्जियां

प्र.ए. शैलेंद्र शुक्ला को चाहिए धन, कुछ भी काला पीला करो

भोपाल।

म.प्र. लोक निर्माण विभाग में चल रहे कालीकमाई के खेल में मुख्यमंत्री लो.नि.मंत्री नागेंद्रसिंग नागोद से लेकर ब्रानी चेतक कदम-कदम पर जालसाजीपूर्ण कृत्यों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। समयमाया के पाठकों ने पूर्व के प्रकाशनों में भलीभांति जाना है, किस प्रकार से इस जालसाज विद्युत यांत्रिकीय अभियंता को जालसाजीपूर्ण तरीकों से वरिष्ठों को किनारे करते हुए प्रमुख अभियंता पद पर निवराजमान इसीलि किया गया कि ये हरामखोर शैलेंद्र शुक्ला कदम-कदम पर जालसाजियों और नियम कानूनों की धज्जियां उधैड़ते हुए भ्रष्टाचार से धन वसूली कर स्वयं भी डकारे और सचिव सुलेमान, प्रधान सचिव मीना मंत्री नागोद से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज तक टुकड़े पहुंचते रहे।

अब जबकि पूरा निविदा कार्य ई-टेडरिंग पर जा चुका है ये सारे श्वानों की फौज ठेकेदारों से सारा टैंडर स्वीकृत करने में पहले ही कमीशन खोरी भोपाल में ही कर लेते हैं। हर नई व्यवस्था को व्यवस्थित होकर स्थापित होने में समय लगता है। साथ ही सबके अपने गुण-दोष होते हैं। स्वाभाविक है कि जिस भ्रष्टाचार के शिष्टाचार में मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्रीयों को कुछ निश्चित

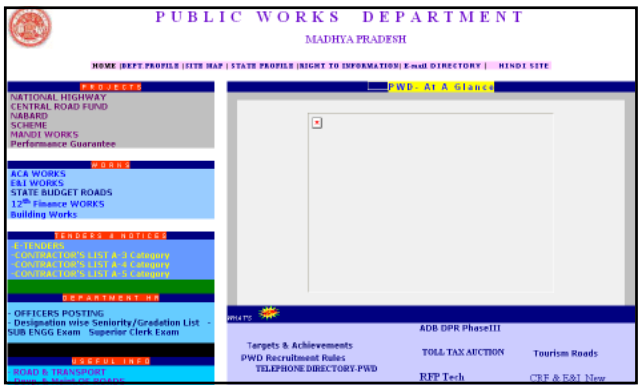

प्रतिशत टेंडर स्वीकृति में मिल जाता। अब वह सारा खेल भोपाल में बैठे ये गिद्धों की फौज मुख्यालय के घोंसले में नोंच खाती है, इसके विपरीत मंत्री, संत्री प्रधानसंत्री, प्रमुख अभियंता जब जिलों के दौरों पर मौका मुआयना बहाने, मौजमस्ती इंदौर जैसे महानगर में शॉपिंग मॉलों से खरीददारी करने आती जाती है तो फिर क्यों क्षेत्रीय कार्यपालन यंत्रीयों को होटलों, लंच, डीनर खरीदारी के बिलों के भुगतान के लिए आगे कर दिया जाता है, ये बात इंदौर के साथ ही ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, के साथ ही प्रदेश के पूरे जिलों पर लागू होती है कि क्यों कार्यपालन यंत्रीयों को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह नोंचा खसोंटा जाता है। इन मंत्री सचिवों, प्रमुख अभियंताओं की जालसाजियों में भी दोहरी जालसाजियां की जाती है। इन हरामखोरों की गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल जेब से डलवाएगा तो स्वाभाविक है कि कहीं तो वसूल करेगा दूसरी ओर फिर ये बिल अपने कार्यालयों से भी वसूल कर मंत्री, सचिवों, प्रमुख अभियंता की जेब में चला जाता है। एक दम सूखा फोकट का इसके बाद भी इस प्रमुख अभियंता का दिल नहीं भरा तो इस बंदे शैलेंद्र शुक्ला ने अपने मन से ही जालसाजीपूर्ण तरीके से इंदौर मुख्य अभियंता कार्यालय पर नजर रखने के लिए कहां पूरे इंदौर संभाग के 8 जिलों और दर्सों अभियंताओं पर नजर रखने के लिए लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-2 में पदस्थ संभा. लेखाधिकारी जो लो.स्वा. यांत्रिकीय विभाग इंदौर संभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है, को अपने फर्जी आदजेश से मुख्य अभियंता कार्यालय से पदस्थ कर दिया जबकि सभी डी.ए. महालेखाकार म.प्र. द्वारा न केवल नियुक्त वरन, स्थानांतरित, अटैचमेंट आदेश तक का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही मुख्य अभियंता कार्यालय में भी आंचलिक लेखाधिकारी की नियुक्ति की भी म.प्र. महालेखाकार ग्वालियर द्वारा ही की जाती है। दूसरा इन सं. लेखाकारों का जब एक विभाग से स्थानांतरण दूसरे विभाग में किया जाता है तो सारे विभागीय अटैचमेंट आदेश स्वयं ही निरस्त हो जाते हैं पर इस भ्रष्ट जालसाज ने फिर भी आदेश जारी कर सं.ले. जे.एस. अग्निहोत्री को इंदौर मुख्य अभियंता कार्यालय लो. निर्माण विभाग में अपनी मर्जी से पत्र क्रमांक 301/112/2009 भोपाल दिनांक 18/08/09 के माध्यम से कर दी जिसकी प्रति संलग्न है।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
म.प्र. लोक निर्माण विभाग
सतपुड़ा भवन द्वितीय तल भोपाल
Web site:
www.mp.gov.in/pwdmp
email-sepwdadminenc@
M.P. nic. in
Ph-0755-2551316, 2556527
क्रमांक-301/112/2009
भोपाल दिनांक 8/2009

आदेश

श्री जे.एस. अग्निहोत्री संभागीय लेखाधिकारी लोक निर्माण विभाग इंदौर संबाग क्रमांक-2 इंदौर को वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, पश्चिम परिक्षेत्र इंदौर के लेखा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

शासन/महालेखाकार ग्वालियर द्वारा नियमित लेखा अधिकारी की कार्यालय मुख्य अभियंता पश्चिम परिक्षेत्र इंदौर में पदस्थगी की जावेगी। उक्त व्यवस्था स्वयं समाप्त हो जावेगी।

(इंजी. शैलेंद्र शुक्ल)
प्रमुख अभियंता
लोकनिर्माण विभाग मध्यप्रदेश
भोपाल-दूरभाष-2551485

पृष्ठांकन क्रमांक-301/112/2009/2015 भोपाल दिनांक 18/8/2009

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल की और सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम परिक्षेत्र इंदौर
3. अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग इंदौर मंडल इंदौर
4. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-2 इंदौर
5. श्री जे.एस. अग्निहोत्री संभागीय लेखा अधिकारी द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-2 इंदौर की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(इंजी.शैलेन्द्र शुक्ल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश
भोपाल दूरभाष- 2551485

इस आदेश में जालसाजीपूर्ण कृत्य देखियेगा कि इस आदेश की प्रति एक तो बिना महालेखाकार म.प्र. की लिखित आदेश के बिना तो कर ही दी दूसरा इस आदेश की प्रति महालेखाकार म.प्र. को भी नहीं दी न ही मुख्य सचिव म.प्र. शासन और मंत्री म.प्र. लोकनिर्माण विभाग को ही दी गई।

विशुद्ध भ्रष्टाचार का अड्डा है पशु-विभाग

चिकित्सक चर जाते हैं चारा व पूरा धन

मवेशी घट रहे हैं विभाग के सांड, शूकर पूरा धन हड़प मुटिया रहे

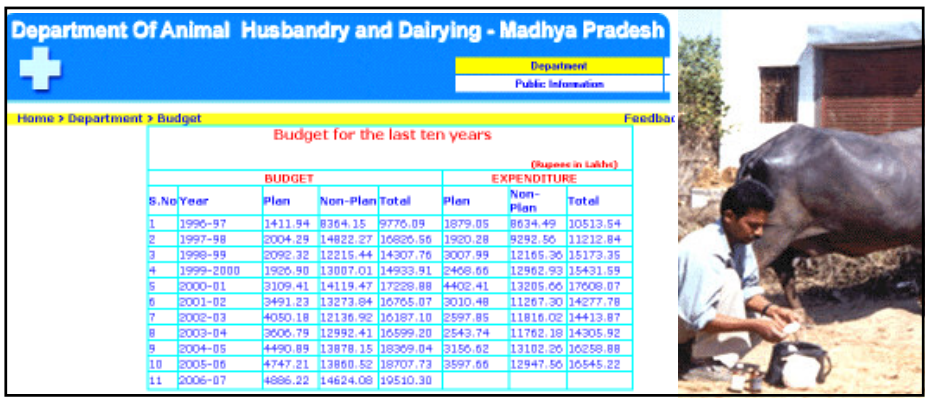

Department Of Animal Husbandry and Dairying - Madhya Pradesh

Department
Public Information

Home > Department > Budget | Feedbac

Budget for the last ten years

(Rupees in Lakhs)

		BUDGET			EXPENDITURE		
S.No	Year	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
1	1996-97	1411.94	8364.15	9776.09	1879.05	8634.49	10513.54
2	1997-98	2004.29	14822.27	16826.56	1920.28	9292.56	11212.84
3	1998-99	2092.32	12215.44	14307.76	3007.99	12165.36	15173.35
4	1999-2000	1926.90	13007.01	14933.91	2468.66	12962.93	15431.59
5	2000-01	3109.41	14119.47	17228.88	4402.41	13205.66	17608.07
6	2001-02	3491.23	13273.84	16765.07	3010.48	11267.30	14277.78
7	2002-03	4050.18	12136.92	16187.10	2597.85	11816.02	14413.87
8	2003-04	3606.79	12992.41	16599.20	2543.74	11762.18	14305.92
9	2004-05	4490.89	13878.15	18369.04	3156.62	13102.26	16258.88
10	2005-06	4747.21	13860.52	18707.73	3597.66	12947.56	16545.22
11	2006-07	4886.22	14624.08	19510.30			

भोपाल।

म.प्र. में दिनों दिन दुधारू पशुओं, यथा गाय,भैंसों की संख्या घट रही है, बकरों, शूकरों, कुक्कटों, (मुर्गा-मुर्गी) आदि के विकास पर पूरे प्रदेश में खर्च किया जा रहा है। पूरा पैसा सचिव और मंत्री से लेकर संभागों में बैठे संयुक्त संचालक जिलों में बैठे भ्रष्ट शूकरों की उपसंचालक पशु चिकित्सक सेवा में ही झूठे व्हाउचरों से डकार जाते हैं। सन 2005 से ही देखें तो 2004-05 में इस विभाग को मिला रुपए 45 करोड़ नियोजित और अनियोजित रुपए 138 करोड़ 78 लाख कुल रुपए 183 करोड़ 69 लाख, 05-06 में मिला रुपए 47 करोड़, 47 लाख प्लान और नान प्लान में म.प्र. सरकार रुपए 138 करोड़ 78 लाख कुल रुपए 183 करोड़ 69 लाख सन 06-07 रुपए 48 करोड़ 86 लाख और अनियोजित रुपए 246 करोड़ 24 लाख कुल रुपए 195 करोड़ 10 लाख 07-08-09, 9-10 के साइट पर आंकडे उपलब्ध नहीं थे, फिर भी 50% भी मानें तो बढ़ कर 07-08 में रुपए 50 करोड़ नियोजित में 155 करोड़ 08-09 में रुपए 66 करोड़ नियोजित और रुपए 160 करोड़ अनियोजित कुल लगभग रुपपए 215 करोड़ 09-10 में इस प्रकार कुल रुपए 225 करोड़ का बजट इस पशु पालन विभाग को मिला, जिसमें से रुपए 125 करोड़ वेतन भत्तों आदि में खर्च हुआ मान लें तो भी रुपए 100 करोड़ यहां बैठे बिना काम के कार्यालयों में बैठकर झूठी दवाई खरीदी के बिलों, निर्माण कार्यों, चारा विकास गहन पशु विकास परियोजना निर्देशन एवं प्रशासन, प्रशासनिक अन्वेक्षण सांख्यिकी के नाम ग्रामीणों, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों के विकास, आर्थिक सहायता, सहायक अनुदान आदि के नाम पर बैठे उपसंचालक पशु चिकित्सा सहायक शल्य ही हर वर्ष हर जिलों में करोड़ों डकार जाते हैं। सारे व्हाउचर्स, बिल्स, विकास योजनाएं यहां बैठे सारे जालसाज शूकरों की फौज कागजों पर ही पूरी कर डालती है।

यहां कार्यरत श्वानों, सांडों और शूकरों पर किसी की नजर इसलिए भी नहीं जाती कि ये सीधे जनता से नहीं जुड़े होते जहां तक गांवों में खुल पशु चिकिस्ता केंद्रों के महीनों ताले ही नहीं खुलते। यह सच्चाई धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, उज्जैन के अधिकांश गांवों और विकासखंडों में स्थापित पशु चिकित्सा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर देखने को मिली।

अधिकांश सहायक पशु चिकित्सा शल्पज्ञों जिनकी पदस्थना ऐसे विकासखंडों, जनपदों और गांवों में होती है, सीधे जिलों से मासिक वेतन लेकर झूठे हाजरी रजिस्टर भर कर थोक उपस्थिति के हस्ताक्षर करके भेज देते हैं।

इनकी शूकरीय प्रवृत्तियों का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी इंदौर के संयुक्त संचालक कार्यालय में घूसे सूचना के अधिकार में पत्र दिया तो हर हरामखोर संयुक्त संचालक से लेकर नीच् तक एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बच निकलने की कोशिश करता रहा, आखिर हरामखोरों ने पूरी जानकारी नहीं दी।

देवास में जहां उपसंचालक छारी है जो कभी भी 15-20 चक्कर काटने के बाद भी कार्यालय में नहीं मिले 07-08 व 08-09 की जानकारी मांगी गई थी मात्र 08-09 की ही जानकारी दी गई। जितनी बार भी कार्यालय में घुसे तो ऐसा लगा कि यहां के चिड़ियाघर में दो नए जानवरों के घुसने से पुराने पशुओं में हड़कंप मच गया। जब पूछताछ की गई तो अभी साहब नहीं है, इससे बात करो, तो कहां है तो अभी तो ये चायपीने गए होंगे। का जवाब मिला, जब शिकायत की बात उठी तो 20-08-09 का पत्र 3 सितम्बर 09 को मिला जिसमें आधी अधूरी जानकारी थी जो पाठकों के लिए प्रस्तुत की जा रही है-

आवंटित बजट और उपयोग के आगे संभावित डकारी गई राशि जो भ्रष्टाचार में समाप्त कर दी गई दर्शाई गई है। शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट लोकायुक्त भोपाल को की जा रही है।

बिन्दु क्रमांक–११

वार्षिक बंटन एवं खर्च का विवरण २००८–०९

क्र.	मद	बंटन	खर्च	%
1.	14-2403 पशु पालन 001-निदेशन एवं प्रशासन 1468 जिला एवं संभागय स्तर	1594000	1281227	90%
2.	14-2403- पशुपालन आयोजनेत्तर 101- पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य 2548- पशु औषधालय की स्थापना	10557000	11068709	50%
3.	14-2403- पशुपालन आयोजनेत्तर 102- मुख्य ग्रामीण 1108- गहन पशु विकास परियोजना चारा उत्पादन	9058000	9157560	95%
4.	14-2403- पशुपालन 800- अन्य व्यय 101- राज्य आयोजना (सा.) 8703- दुग्ध उत्पादन एवं अधोसरंचना	345000	306118	100%
5.	14-2403- पशुपालन आयोजना 102- मुख्य ग्रामीण 1108- गहन पशु विकास परियोजना चारा उत्पादन एवं परिक्षण	2201332	2173954	100%
6.	14-2403- पशुपालन 113-प्रशासनिक अन्वेक्षण और सांख्यिकी 0701- केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य 1971-दुग्ध अंडा मांस के उपलब्धता के अनुसार	224000	235919	90%
7.	41-2403- पशुपालन 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 9331-नवीन गहन पशु विकास परि. की स्थापना	2806000	3009969	70%
8.	41-2403- पशुपालन 102- पशु और भैस विकास 0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक यो. 1109- गहन पशु विकास परियोजना	1225000	890213	90%
9.	41-2403- पशुपालन आयोजनेत्तर त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं वित्तीय सहायता 42 आर्थिक सहायता/ सहायक अनुदान 101- पशु चिकित्सा सेवाएं पशु स्वास्थ्य 2549 पशु चिकित्सालय/औषधालयों की स्थापना	300000	300000	60%
10.	41-2403- पशुपालन आयोजनेत्तर त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं वित्तीय सहायता 42 आर्थिक सहायता/ सहायक अनुदान 102- मुख्य ग्रामीण 1108 गहन पशु विकास परियोजना चारा उत्पादन एवं परिरक्षण	300000	300000	100%
11.	41-2403- पशुपालन आयोजना 101- पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य 3585 मुहखुरू रोग हेतु टीका लगाने की योजना			
12.	41-2403- पशुपालन, आदिवासी उपयोजना 103 कुक्कुट विकास 846 कुक्कट प्रक्षेत्रों का विकास 14- आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान 42 ग्राण्टइनएड 0102 सेगमेन्ट			
13.	64-2403- पशुपालन आयोजना, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 102 पशु एवं भैंस विकास 4017 विनिमय के आधार पर बकरों का वितरण- 42 अनुदान 007 अन्य	57,000	57,000	100%
14.	64-2403 पशुपालन आयोजना, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 4016 विनिमय के आधार पर नर सूकरों का वितरण अनुदान	71,000	68,900	100%
15.	14-2403- पशु पालन आयोजनेत्तर, 101 पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य 5007- पशु औषधालय की स्थापना	6,65,2000,	74,27,389	80%
16.	14-2403 पशु पालन आयोजनेत्तर, 3578-मुर्गी पालन विकास प्रक्षेत्रों पर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षणशाखा का सुदृढिकरण	3,80,000	20,634	80%

गरबों की आड़ में आएगी गर्भपातों की बाढ़...

शेष पृष्ठ 8 का....

जिसमें बदनामी की आड़ में नवयौवनाओं के माता-पिता और संरक्षकों से भारी वसूली की जाती है। इस बाढ़ में 13 से 21 वर्ष की लड़कियां ही ज्यादा लपेटे में आती है जो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की होती है। जो मौजमस्ती के साथ ही ऐसी शातिर महिला पुरुषों के चुंगल में फंसकर यौन शोषण को आंख मींच कर स्वीकार कर लेती हैं। गुजरात में प्राप्त समाचारों के अनुसार गुजराज सरकार के इशारे पर हर गरबा केंद्रों के बाहर कंडोम वेडिंग मशीन लगा दी गई है, ताकि गरबों का गर्भ के डर बिना भरपूर आनंद लिया जा सके। फिर गरबों में यौनानंद के लिए देहप्रदर्शन, नए मुर्गे फंसाने के लिए न केवल नवयौवनाएं वरन 12 वर्ष से लेकर 40-50 वर्ष तक की महिलाएं भी बीमार होने के बाद भी दवायिां ले-लेकर गरबा करने जाती है। वर्ष भर में एक ही बार 10 दिन के लिए मौका मिलता है। गरबा आयोजन करने वाले इनकी ये हरकतें और कुकर्मों की कहानी बाहर न जाए इसीलिए मीडिया जैसा कि इंदौर में अग्निबाण, भास्कर, जागरण, राज, लोकस्वामी सभी को आमंत्रित कर आयोजन में भागीदार बना लेते हैं। ताकि इन सब में शामिल हो ये अपना मुंह बंद रखें। इनकी यौनलोलुपता के कांडों की खबरें अखबारों में न छपें। अब उल्टा ही मीडिया वाले लचकती कमर और चौड़े ब्लाउजों की फोटो छपवाकर प्रोत्साहित करते हैं।

नवरात्रि एवं दशहरे की शुभकामनाएँ

प्रकाश साल्वेक्स
(A UNIT OF PRAKASH OILS LTD.)
(Manufacture Exporters & Importer)

ऑफिस - 31/एफ-12, वात्सल्य चैंबर,
स्नेह नगर, इंदौर-01 इंडिया
फोन - (ऑ.) 4644011-12-13, 291555
फैक्स - 95-731-468887
E-mail - pol@satyam.net.in

नवरात्रि एवं दशहरे की शुभकामनाएँ

अम्बिका साल्वेक्स लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस :- 304 सत्पगीता अपार्टमेन्ट
90/40 स्नेह नगर मेनरोड, इंदौर (म.प्र.)
452001 इंडिया
फोन :- 91-0731-2471655

वर्क्स: न्यूइंडस्ट्रीयल, महु-नीमच रोड जावरा-457226(रतलाम)
म.प्र. फोन:- 91-7414-500929, 500922 फैक्स 91-7414-500157

हेड ऑफिस :- डाभेलगली, पुराना धानमंडी, जनकपुरा मंदसौर (म.प्र.)
इंडिया फोन : 91-7422-45576, 52990 फैक्स : 91-7422-52890

एगमार्का आईएसआई, बीआईएस की आड़ में मिलावटियों की चांदी

मा. मानुक संस्थान वसूली कर दे रहा लूट की छूट

हालमार्का व बीआईएस है तो पक्का है ज्यादा मिलावट है आभूषणों में

भारत में भारतीय मानक संस्थान की वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारण के लिए स्थापना की गई थी।

सफेदपोश डकैतों की पहचान

* जिसका जितना ज्यादा विज्ञापन खर्च उतना बड़ा डकैत।
* जो जितने इनाम, छूट बांटे उतनी ज्यादा झूठ व लूट।
* ज्यादा चमक, धमक की नौटंकी
* ज्यादा आवभगत, मिठे बोला ठउतना झूठ बोला।
* बीआईएस हालमार्क पैसे् दो सील लगवाओ। 12की 18 कैरेट।
* बदलने की गारंटी दुकान के दरवाजे तक बाहर निकलते ही तुम कौन? वापसी की गारंटी काफी लड़ाई झगड़े का बाद उसी दुकान पर

क्योंकि सब ग्राहकों को मिलावटी आभूषण बेच कर कमाया। इसलिए ईनाम, छूट, बड़े विज्ञापन, चमक-धमक उसी की बदौलत होती है। कोई भी दुकानदार जेब से तो खर्च करेगा नहीं। सब वसूलेगा। दो के चार करके अब आठ के अठ्ठारह करेगा, ईनाम, छूट, चमक, आवभगत, मीठी भाषा बोल कर चाहे वो पंजाब ज्वेलर्स, मनीरत्मन, डिवाइन, हार्टज, नक्षत्र, जयपुर या सैकड़ों अन्य जालसाज ज्वेलर्स में कोई कि‍ी का सगा, सच्चा कभी नहीं होता बीआईएस. हालमार्क में भी अधिझकारियों को पैसे दो और कुछ भी सील लगवा लो, छोटा व्यापारी साख का ख्याल रखता है। बड़ा तो झूठ बोल, लूट कर ही बड़ा बना है। सबका इतिहास वर्तमान, भविष्य, इसी से निर्धारित है।

एगमार्का खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता, आई.एस.आई धातुओं से निर्मित वस्तुओं, मशीनों आदि के लिए हैं। बीआईएस और हालमार्क स्वर्णरजत, प्लेटिनम आदि कीमती धातुओं की गुणवत्ता निर्धारण के लिए हैं। इसके विपरीत इस भारतीय मानक संस्तान में गुणवत्ता निर्धारण करने वाले अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसलिए एगमार्का, आईएसआई, बीआईएस या हालमार्क का लेबल सील चिपक जाने से अब यह मानकर ही चलिए कि इसमें रिश्वत की राशि का हिस्सा भी ग्राहक से ही वसूला जाएगा, आखिर व्यापारी कहां से लाएगा। इस लेबल, स्टीकर या सील की कीमत जितनी तो इस लेबल, स्टीकर या सील की कीमत चुकाएगा उससे दुगुनी मिलावट कर ग्राहक को फिर सरकारी भरोसा जो कभी भरोसे मंद नहीं होते मिलावट कर वसूली भी करेगा।

स्वर्णाभूषणों में 1 केरेट, अर्थात 41.66 ईकाई जो 100 की दस गुना 1000 में परिभाषित की जाती है अर्थात 22 कैरेट को 917 में 18 कैरेट के 750, 12 कैरेट को 500 में या 50% शुद्ध बाकी मिलावटी यदि ये सील लगी है तो कैरेट की रिश्वत और व्यापारी की वसूली अर्थात 4 कैरेट ज्यादा मिलावटी, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, से मिली सूचनाओं के अनुसार जो ज्वेलर्स ये हालमार्क व बीआईएस की सील लगाकर बेच रहे हैं उनमें ज्यादा मिलावट और लगी सील के विपरीत स्तरहीनता पाई जा रही है।दीपावली पर स्वर्ण रजत आभूषणों, बर्तनों, मूर्तियों, सिक्के खरीदने के चलन है। इस वक्त सबसे ज्यादा लूट की जाती है। ग्राहकों को अपनी बुद्धि व विवेक का उपयोग करना चाहिए। यदि ईमानदारी और मेहनत का पैसा है तो सिक्के बैंकों से ही खरीदे जा सकते हैं।

गरबों की आड़ में आएगी गर्भपातों की बाढ़

पूरे उत्तरी, पूर्वी मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाले नवरात्रि कार्यक्रमों में गरबा कार्यक्रम आयोजित करने में मीडिया और कार्पोरेट सेक्टर ने जिस तेजी से अपने पैर पसारे और जमाए उन सबके पीछे सबके मस्तिष्क में यौन लोलपुता की प्रबलता से प्रगट होती है। महिलाओं और नवयौवनाओं को घरों से निकालकर धार्मिक कार्यक्रमें के बहाने गर्मगोस्त के सौदागर बहु विधि कमाई करेंगे, जिसमें महंगी ड्रेसों को बेचने से लेकर ब्लू फिल्में बनाने, बाद में महीनों, वर्षों ब्लैक मेलिंग से कमाई करने के साथ ही आयोजक आजू-बाजू के कमरों, टेन्टों, में भी 15 मिनट का भी रुपए 200 से 500 वसूलते हैं, जोड़ों से। अकेले इंदौर में ऐसे गरबा स्थल सही अर्थो में अवैध यौनाचार के अड्डे बनकर शाम 6-7 बजे रात्रि से लेकर सुबह तक चलते रहते हैं, जिसमें नवयौवना कुंवारियों से लेकर 40-50 वर्ष के बहु बेटों की अम्मायें भी यौनाचार का भरपूर आनंद उठाने से नहीं चूकती यह यौनाचार

मध्यमवर्गीय से लेकर उच्च वर्ग तक न केवल गुजरातियों, बंगालियों, महाराष्ट्रीयनों, वरन पूरा वैश्य समाज, पंजाबी, हिन्दुओं में भी खुलकर महाराष्ट्र, म.प्र., उ.प्र., गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बंगाल, असम में चलता है। इस यौनाचार के मात्र 15 से 20% मामलों में नवयौवनाओं जिसमें स्कूली छात्राएं 12 से 18 वर्ष के बीच गर्भधारण कर लेती है। फिर 1 माह बाद अक्टूबर से लेकर फरवरी-मार्च तक झोलाछाप डॉक्टरों से लेकर बड़े नर्सिंग होम्स तक गर्भपातों की बाढ़ से ही करोड़ों रुपए ऐसे नवयौवनाओं के मां-बाप से ऐंठ लिया जाता है। निःसंदेह वर्तमान पीढ़ी 12-13 वर्ष की लड़कियों और 16-18 वर्ष ज्यादा उम्र के लड़कों की जेब में ऐसे मौसम 2-3 कंडोम रखे हुए मिल जाएंगे। या लेकर ही चलते हैं।

गुजरात, महाराष्ट्र, म.प्र., राजस्थान, दिल्ली, बंगाल, छत्तीसगढ़, उ.प्र. के 200 जिलों के जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों से लेकर प्रदेश सरकारों के मुख्य मंत्रियों से लेकर मुख्य सचिव और गृहसचिवों तक सारी जानकारियां और अवैध यौनाचार रिपोर्ट है, परंतु जानबूझकर शासन प्रशासन इन्हें पूरी छूट देकर ऐसे यौनाचार को स्वयं हवा देता है। शासन चाहे तो ऐसे सारे गरबा स्थलों को 10 बजे तक पूर्णतः बंद करवा कर पूर्ण रोक लगा सकता है। पर गरबा माफियाओं में जब मीडिया, बड़े-बड़े कार्पोरेट हाउसेस स्वय़ं कलेक्टर, कमिश्नरों, एस.पी. डीएसपी और मंत्रियों को ही आमंत्रित कर उन्हें भी मनमानी करने की पूरी छूट देता है। तो कौन इस पर रोक लागाएगा। फिर नवयौवनाएं किसी बहाने एक बार घर से बाहर निकल जाए तो शातिर, धुर्तों का टोला कौन-कौन से गरबे कहां करेगा और करवाएगा य परिणाम सने ओ पर ही खुलते हैं। जब शाम 6 बजे से रात्रि 11-12 बजे तक बाहर रहने पर नवयौवनाओं को जो खिलाया पिलाया जाएगा तो स्वाभाविक है धूर्त गरबा आयोजक उसमें नशा, उत्तेजना की औषधियों जिसमें भांग, अफीम, कौकीन, शराब, कैन्थ्रेडीन, पोडियम, एलएसडी. जो आसानी से उपलब्ध हैं खिला-पीलाकर ब्ल्यु, ग्रीन कौन सी फिल्म बनाएगा। मोबाइल वीडियो शूटिंग करके बेचेगा, ब्लैक मेल करेगा, वसूली करेगा, बदनामी करेगा, वह समय ही बताता है। केंद्र शासन के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये सारी सूचनाएं पहुंचती रहती है। दो वर्ष पूर्व जब समयमाया की करप्शन की साइटों पर इस मामले को अपलोड़ किया था तो गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने ताबड़-तोड़ घोषणाएं तो बहुत की ती परंतु वास्तव में कुछ किया नहीं। केंद्र के स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय भी इस बात को स्वीकारते हैं कि गरबों की आड़ में गर्भपातों की बाढ़ से नव. दिस. से लेकर जनवरी-फरवरी निजी नर्सिंग होम्स से लेकर गांव स्तर की दाइयों और डॉक्टरों तक आती है। **शेष पृष्ठ 7 पर....**

भोपाल खाद्य विभाग की वसूली से मिनी बस, ट्रक चल रही मिट्टी के तेल से

शक्कर की जमाखोरी के नाम दोनों हाथ लूट रहा खाद्य विभाग

भोपाल। म.प्र. की राजधानी में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव की ठीक नाक के नीचे चारों तरफ भ्रष्ट अधिकारियों की उचट कर वसूली चल रही है। भोपाल खाद्य नियंत्रक हरामखोर हरेंद्रसिंग जालसाज कभी मंत्र का भतीजा,कभी जज का भाई, कभी सचिव का बहनोई बताकर जहां एक तरफ मीडिया को धमकाता है वहीं दूसरी तरफ वहां की राशन दुकानों से दोनों हाथ महीना वसूली के साथ गरीबीरेखा के, गरीबी रेखा से ऊपर वालों का पूरा गेहूं बाजारों में बिकवाने पर भी वसूली करता है। छोटा रघुवंशी और बड़े रघुवंशी का पूरा खाद्य विभाग पर वसूली का बोलबाला है, जिस राशन दुकान से वसूली इच्छानुसार नहीं मिली उसे कदम दुकान निलंबित करने की धमकी दी जाकर कार्यावाहियां भी की जा रही है। पूरा भोपाल जिले में 450 से ज्यादा दुकानों पर बिकने वाला मिट्टी का तेल ट्रकों, मिनी बसों को हॉकरों के माध्यम से आपूर्ति की जाकर पूरे जिले में अधिकांश गाड़ियां मिट्टी के तेल से ही चलाई जा रही है। मिनी बसों में पीछे वाली सीट के नीचे टंकी छुपी रहती है, जो मिट्टी के तेल से भरी होती है। किसी को भी आता देख या कार्यवाही होते देख गाड़ियां डीजल से चलाई जाती है। **शेष पृष्ठ 5 पर....**

बीपीएल का गेहूं खुले बाजार में, गैस से अधिकारियों की कारें चल रहीं, राशन दुकानों पर लूट की छूट, बस महीना दो

नमूने पास करवाने, सेवानिवृत्त निरीक्षक निभा रहे दल्लों की भूमिका

इंदौर। पूरा इंदौर और आसपास का औद्योगिक क्षेत्र अपनी खाद्य पदार्थों में मिलावटी खोरी के लिए पूरे देश में कुख्यात है तो औषधियों में स्तरहीन सामानांतर नाम काम वाली दवाओं, तरल, इंजेक्शन आदि के लिए पूरी दुनिया में, यहां पर विभाग में जो खाद्य निरीक्षक और औषधि निरीक्षक जो कर रहे हैं उसके बारे में समयमाया के पाठक वर्षों से पढ़ते चलते आ रहे हैं। फिर भी समय-समय पर जनहित के लिए इस विभाग की कारगुजारियों को प्रस्तुत कर खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों की मृत आत्माओं में पुनः रक्त संचार कर मस्तिष्क को चैतन्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता रहता है। ताकि वो जनता के धन से जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं उसका कम से कम 50% जनहित में भी प्रयोग करें, ताकि जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ एवं औषधियां 50% तो सही उपलब्ध हो सके। इस संदर्भ में पूर्व के महाजालसाज भिंड का डकैत

प्रकृति का सेवानिवृत्त खाद्य निरीक्षक पचौरी अभी सियागंज व इंदौर के अनेकों क्षेत्रों से खुलकर इस आश्वासन पर धन वसूल रहा है कि यदि वर्तमान में पद पर कार्यरत निरीक्षकों ने उनके किसी भी खाद्य पदार्थ के नमूने ले भी लिए तो उसकी सीधी म.प्र. की खाद्य निरीक्षण प्रयोगशाला के वरिष्ठ विश्लेषक एच.पी. मिश्रा से सीधे सेटिंग उससे उनके नमूने पास करवा देगा, इसलिए पचौरी व वि.एच. मिश्र के 16/3 कोलार रोड भोपाल स्थित घर

पर जाकर सीधे सेटिंग करके नमूने पास करता रहा है। इस शूकर को इस तरह दल्लागिरी धन कमाता देखकर सेवा निरीक्षक खाद्य निरीक्षक आर.पी. खरे और पूर्व का औषधी निरीक्षक भी इस दल्लागिरी में कुद चुके हैं और दोनों हाथों से धन बटोरने में लगे हैं। इस संदर्भ में जो रिपोर्ट सामने आई है कि शिमला गुटके के मई-जून में कुछ नमूने लिए गए थे जिसमें सादेपान का मसाला पाऊच के खा.नि. सुरेंद्र ठाकुर ने जो नमूने लिए थे उसे पचौरी ने किशोर वाधवानी से मोटी रकम वसूल कर मिश्रा को देकर पास करवा दिया। जिसमें मेग्नैशियम के नेट जो कैंसर का कारण होता है खुलकर मिलाया जाता है। शिमला मीठी सुपारी पाऊच की जिसका नमूना खाद्य सचिव लोंगरिया के नमूना पास करवा दिया गया। इसी प्रकार जी.एम. प्राडक्ट का टावर ब्रांड टूटी-फूटी और न्यूडल्स का नमूना खा.नि. सचिन लोंगरिया ने लिया था। उसे भी पास करवा दिया गया। अजमेर फूड प्राडक्ट का टावर ब्रांड गुलकंद जिसके नमूने खा.नि. अमित वर्मा ने लिए थे वो भी इसी प्रकार पास करवा दिए गए, यही हाल 751 वन वेदी बंधानी हींग के नमूने का भी हुआ जिसमें पूर्व निरीक्षक आर.पी. खरे की भूमिका भी रही।इसी प्रकार धनोतिया के कुले चाय मसाले का जो नमूना लिया गया, उसमें सेवानिवृत्त औषधि निरीक्षक ब्यानी ने भूमिका **शेष पृष्ठ 5 पर....**

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से
प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.
कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2304377 मो. 93007-55803